UPSI010046022018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01, सीतापुर।

उपस्थितः– मो0 सफीक
(एच0जे0एस0)

old Sessions Trial N0.232/2018

CIS NO.232/2018

राज्य बनाम् 1.प्रेम हरिजन पुत्र मिहीलाल
निवासी ग्राम कुबेरपुर,
थाना इमलिया सुल्तानपुर,
जिला सीतापुर
2.रामकुमार पुत्र छेद्दू
3.दीवानी पुत्र छेद्दू
4.रंजीत पुत्र रामकुमार
5.गंगाराम पुत्र रामआसरे
निवासीगण ग्राम बसेती,
थाना इमलिया सुल्तानपुर,
जिला सीतापुर।
मुकदमा अ्पराध सं0–30/2018
धारा–147,148,302/149,504,
506 भा0दं0सं0
थाना–इमलिया सुल्तानपुर,
जिला सीतापुर

एवं

UPSI010046042018

old Sessions Trial No.233/2018

CIS NO.233/2018

राज्य बनाम् प्रेम हरिजन पुत्र मिहीलाल
निवासी ग्राम कुबेरपुर,
थाना इमलिया सुल्तानपुर,
जिला सीतापुर
मुकदमा अ्पराध सं0–33/2018
धारा–25(1–बी)आयुध अधिनियम
थाना–इमलिया सुल्तानपुर,
जिला सीतापुर

निर्णय

1. प्रस्तुत प्राचीन सत्र परीक्षण संख्या–232/2018, मुकदमा अ्पराध सख्या–30/2018 में अभियुक्तगण प्रेम हरिजन, रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम के विरूद्ध धारा–147,148,149,302,504,506 भा0दं0सं0 एवं प्राचीन सत्र परीक्षण संख्या–

Digitally signed by Mohd Sapheek
Date: 2026.07.23 17:34:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sitapur

233 / 2018, मुकदमा अ्पराध संख्या–33 / 2018 में अभियुक्त प्रेम हरिजन के विरूद्ध धारा–25(1–बी)आयुध अधिनियम में पुलिस थाना इमलिया सुल्तानपुर द्वारा पृथक–पृथक प्रेषित आरोप पत्रों के आधार पर परीक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

2. प्राचीन सत्र परीक्षण सं0–232 / 2018 व प्राचीन सत्र परीक्षण सं0–233 / 2018 एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण दोनों मामलो में साक्ष्य एक ही तरह की आयी है। इसलिए प्राचीन सत्र परीक्षण सं0–232 / 2018 के साथ ही प्राचीन सत्र परीक्षण सं0–233 / 2018 का परीक्षण एक साथ किया जा रहा है।

3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा उपरोक्त दोनों मामले दिनांक 26.05.2018 को सत्र सुपुर्द किये जाने के उपरान्त जिला जज महोदय द्वारा अन्तरण के बाद प्राप्त हुए।

घटना की तिथि व समय	**अभियोग पंजीकृत होने की तिथि व समय**	**आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि**	**आरोप विरचन की तिथि**
14.02.2018को समय 15.30 बजे व 15.02.2018 समय करीब 22.30 बजे	14.02.2018को समय 15.45 बजे व 16.02.2018को समय 00.30 बजे	08.04.2018 व 29.03.2018	28.06.2018

4. अभियोजन कथानक के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर पर एक लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि वादी ध्रुव कुमार शुक्ल पुत्र भोले प्रसाद शुक्ल ग्राम बसेती थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर का निवासी है। आज दिनांक 14.02.2018 को समय दिन में 3.30 बजे उसके पिताजी भोले प्रसाद उम्र करीब 55 वर्ष बसेती चौराहे पर गये थे जहॉ पर प्रेम हरिजन पुत्र मिहीलाल निवासी कुबेरपुर व रामकुमार पुत्र छेद्दू, दीवानी पुत्र छेद्दू, रंजीत पुत्र रामकुमार एवं गंगाराम पुत्र रामआसरे निवासीगण ग्राम बसेती से उन्हीं के कारखाने पर आटा लेने के विवाद को लेकर प्रेम पुत्र मिहीलाल निवासी कुंबेरपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर ने जान से मारने की नियत से उसके पिताजी के ऊपर 12 बोर के कट्टे से फायर कर दिया जिससे उनके गले में दाहिनी तरफ चोट आई है व छर्रे लगे हैं। इस घटना को ज्ञानकुमार पुत्र राकेश तथा प्रहलाद पुत्र राजकुमार ने देखा है। मौके पर लोगों के ललकारने पर सभी गाली–गुप्ता व जानमाल की धमकी देते चले गये थे। वह पिताजी को लेकर आया है। रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

5. उक्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर सम्बन्धित थाना इमलिया सुल्तानपुर में मुकदमा अपराध सं0–30 / 2018, धारा–147,307,504,506 भा0दं0सं0 में

अभियुक्तगण प्रेम हरिजन, रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम के विरूद्ध दिनांक 14.02.2018, समय 15.45 बजे रोजनामचाआम की रपट सं0—29 पर पंजीकृत हुआ।

6.विवेचनोपरान्त तमाम तफ्तीश, बयान वादी व गवाहान, घटनास्थल का नक्शा नजरी, चिकित्सीय रिपोर्ट, फर्द खून आलूदा व सादी मिट्टी, पंचायतनाम व उससे सम्बन्धित प्रपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि के आधार पर आरोप पत्र अभियुक्तगण प्रेम हरिजन, रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम के विरूद्ध धारा—147,148,149,302,504,506 भा0दं0सं0 न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया।

7. प्राचीन सत्र परीक्षण सं0—233/2018 से सम्बन्धित अभियोजन कथानक के सुंसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि थाना इमलिया सुल्तानपुर के थानाध्यक्ष राय साहब द्विवेदी द्वारा सम्बन्धित थाने पर फर्द बरामदगी इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि आज दिनांक 15.02.2018 को वह, उ0नि0 इसरार अहमद खॉ मय हमराही आरक्षी वेद प्रकाश व आरक्षी नसरूद्दीन खॉ मय वाहन सरकारी यूपी34जी0216 मय चालक प्राइवेट के थाना हाजा से वहवाले रपट सं0—48 समय 20.05 बजे प्रस्थान करके देखभाल क्षेत्र तलाश संदिग्ध व्यक्ति, विवेचना में मशरूफ होकर ग्राम बसेती में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0—30/2018 धारा—147,148, 149,302,504,506 भा0दं0सं0 का नामजद अभियुक्त प्रेम हरिजन पुत्र मिही लाल ग्राम कुबेरपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर कहीं जाने हेतु पारा नहर पुलिया गोला रोड पर साधन पकड़ने हेतु जाने वाला है। यदि शीघ्रता की जाय तो गिरफ्तारी सम्भव हो सकती है। इस सूचना पर विश्वास करके जनता के गवाहान को तलब किया गया। जनता के गवाह सर्वश्री ज्ञान कुमार पुत्र राकेश एवं प्रहलाद पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बसेती थाना इमलिया सुल्तानपुर उपलब्ध हुए। जिनको उनके अधिकार, कर्तव्य एवं मकसद से अवगत कराकर साथ लिया गया तथा एक दूसरे की तलाशी ले—देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। वाहन सरकारी से बसेती से प्रस्थान कर पारा नहर पुलिया के थोड़ा पहले सरकारी वाहन चालक के सुपुर्द कर पैदल चलकर पारा नहर पुलिया के पास आकर छिपकर आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे कि थोड़ी देर में एक व्यक्ति वाकरपुर की तरफ से आने वाली नहर पटरी से आता हुआ आने—जाने वाले वाहनों की रोशनी में दिखा। मुखबिर इशारा करके पीछे चला गया। वह व्यक्ति जैसे ही आकर पुलिया पर खड़ा हुआ कि एकाएक टार्च की रोशनी डालते हुए मौके पर ही घेरकर हमराहीगण की मदद से पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम प्रेम हरिजन पुत्र मिहीलाल निवासी ग्राम कुबेरपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर बताया, जिसको उपरोक्त मुकदमे का नामजद अभियुक्त बताकर

समय 22.30 बजे हिरासत में लिया गया। पूछताछ पर घटना के बाबत टालमटोल बातें करता रहा। परन्तु सख्ती से पूछताछ करने पर मुकदमा उपरोक्त में मृतक भोले प्रसाद शुक्ल को कट्टा से गोली मारने की बात स्वीकार कर रहा है तथा बताया कि उक्त कट्टे को घटना करके भागते समय गन्ने के खेत में मिट्टी के नीचे गाड़ दिया है जिसे वह बरामद करा सकता है। वउम्मीद बरामदगी कट्टा एवं कारतूस मौके से जीप पर बैठकर अभियुक्त के बताये अनुसार बसेती आया जहॉ पर रोड पर अभियुक्त द्वारा जीप रूकवाकर जीप से उतर कर आगे–2 चलकर एक गन्ने के खेत में आकर जमीन के अन्दर खोद कर एक अद्द कट्टा 12बोर चालू हालत में व एक कारतूस जिन्दा 12 बोर थानाध्यक्ष को सुपुर्द कर बताया कि साहब यह वही कट्टा है जिससे उसने भोले प्रसाद शुक्ला को गोली मारी थी। उक्त आयुध को कब्जा पुलिस में लेकर नाल खोलकर देखा गया तो एक खोखा कारतूस लोड़ है जिसको अनलोड़ किया गया। बरामद कट्टा व कारतूस को मौके पर ही टार्च की रोशनी में एक पारदर्शी डिब्बे में रखकर सीलकर सर्व मोहर किया गया। उक्त कट्टा व कारतूस मु0अ0सं0–30/2018 धारा–147,148,149,302,504,506 भा0दं0सं0 थाना इमलिया सुल्तानपुर का आलाकत्ल है। अभियुक्त को जुर्म धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम का बोध कराया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को अलग से भेजी जा रही है। गिरफ्तारी मेमो मौके पर टार्च की रोशनी में तैयार किया गया। फर्द बरामदगी मौके पर टार्च की रोशनी में थानाध्यक्ष द्वारा बोल–2 कर उ0नि0 इसरार अहमद खॉ से तैयार कराई गई। फर्द का मजमून हमराही, गवाहान व अभियुक्त को पढ़कर सुना कर सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये तथा फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गयी।

8. उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना इमलिया सुल्तानपुर के थानाध्यक्ष राय साहब द्विवेदी द्वारा सम्बन्धित थाने पर मुकदमा अपराध सं0–33/2018, धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम में अभियुक्त प्रेम हरिजन के विरूद्ध दिनांक 16.02. 2018, समय 00.30 बजे रोजनामचाआम की रपट सं0–3 पंजीकृत कराया गया।

9. आयुध अधिनियम के मामले की विवेचनोपरान्त तमाम तफ्तीश, बयान वादी व गवाहान, घटनास्थल आयुध बरामदगी का नक्शा नजरी आदि के आधार पर आरोप पत्र अभियुक्त प्रेम हरिजन के विरूद्ध धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया।

10. अभियुक्तगण जमानत पर हैं।

11. माननीय सत्र न्यायाधीश सीतापुर द्वारा अभियुक्त प्रेम हरिजन के विरूद्ध दिनांक 28.06.2018 को धारा–147,148,302 / 149,504,506 भा0दं0सं0 व धारा–25 (1–बी) आयुध अधिनियम एवं अभियुक्तगण रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम के विरूद्ध दिनांक 28.06.2018 को धारा–147,148,302 / 149,504,506 भा0दं0सं0 में पृथक–पृथक आरोप विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिसे अभियुक्तगण द्वारा इन्कार किया गया और परीक्षण की मांग की।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क–मौखिक साक्ष्य–

पी0डब्लू0–1	ध्रुव कुमार शुक्ला(वादी मुकदमा)
पी0डब्लू0–2	ज्ञान कुमार शुक्ला (तथ्य का साक्षी)
पी0डब्लू0–3	प्रमोद कुमार मिश्र(पंचायतनामा का साक्षी)
पी0डब्लू0–4	निरीक्षक राय साहब द्विवेदी(विवेचक मु0अ0सं0–30 / 2018)
पी0डब्लू0–5	मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार यादव(चिक लेखक मु0अ0सं0–30 / 2018)
पी0डब्लू0–6	निरीक्षक अरून कुमार अस्थाना(विवेचक मु0अ0सं0–33 / 2018)
पी0डब्लू0–7	निरीक्षक राय मणि शुक्ला (पंचायमनामा तैयारकर्ता)
पी0डब्लू0–8	डा0एस0के0 वर्मा(पोस्टमार्टम कर्ता)
पी0डब्लू0–9	मु0 आरक्षी नवर्देश्वर तिवारी(चिक लेखक मु0अ0सं0–33 / 2018)
पी0डब्लू0–10	डा0इन्द्रेश्वर वर्मा(चिकित्सीय परीक्षणकर्ता)

ख–दस्तावेजी साक्ष्य–

प्रदर्श क0सं0	**अभियोजन प्रपत्र**	**अभि0प्रपत्र साबित करनेवालेअभियोजन साक्षी की कम सं0**
प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर	पी0डब्लू01
प्रदर्श क–2	खून आलूदा व सादी मिट्टी की फर्द	पी0डब्लू02
प्रदर्श क–3	आयुध बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी	पी0डब्लू04
प्रदर्श क–4	घटनास्थल का नक्शा नजरी	पी0डब्लू04
प्रदर्श क–5	फर्द बरामदगी	पी0डब्लू04
प्रदर्श क–6	गिरफ्तारी प्रमाण पत्र	पी0डब्लू04
प्रदर्श क–7	आरोप पत्र(मु0अ0सं0–30 / 2018)	पी0डब्लू04
प्रदर्श क–8	चिक एफ0आई0आर0(मु0अ0सं0–30 / 2018)	पी0डब्लू05
प्रदर्श क–9	कायमी जी0डी0 की प्रति(मु0अ0सं0–30 / 2018)	पी0डब्लू05
प्रदर्श क–10	आयुध बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी	पी0डब्लू06

प्रदर्श क–11	आयुध अधिनियम में अभियोजन स्वीकृति	पी0डब्लू06
प्रदर्श क–12	आरोप पत्र(मु0अ0सं0–33/2018)	पी0डब्लू06
प्रदर्श क–13	पंचायतनामा	पी0डब्लू07
प्रदर्श क–14	नमूना मोहर	पी0डब्लू07
प्रदर्श क–15	चालान लाश	पी0डब्लू07
प्रदर्श क–16	फोटो लाश	पी0डब्लू07
प्रदर्श क–17	चिट्ठी आर0आई0	पी0डब्लू07
प्रदर्श क–18	चिट्ठी सी0एम0ओ0	पी0डब्लू07
प्रदर्श क–19	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी0डब्लू08
प्रदर्श क–20	चिक एफ0आई0आर0(मु0अ0सं0–33/2018)	पी0डब्लू09
प्रदर्श क–21	कायमी जी0डी0 की प्रति (मु0अ0सं0–33/2018)	पी0डब्लू09
प्रदर्श क–22	चिकित्सीय प्रपत्र	पी0डब्लू010
प्रदर्श क–23	बेड हेड टिकट	पी0डब्लू010
वस्तु प्रदर्श–1	देशी तमंचा 12 बोर	पी0डब्लू04
वस्तु प्रदर्श–2	खोखा कारतूस	पी0डब्लू04
वस्तु प्रदर्श–3	जिन्दा कारतूस	पी0डब्लू04
वस्तु प्रदर्श–4	प्लास्टिक का डिब्बा	पी0डब्लू04
वस्तु प्रदर्श–5	खून आलूदा मिट्टी का डिब्बा	पी0डब्लू04
वस्तु प्रदर्श–6	सादी मिट्टी का डिब्बा	पी0डब्लू04
वस्तु प्रदर्श–7	छर्रे की पुड़िया	पी0डब्लू04
वस्तु प्रदर्श–8	जनेऊ	पी0डब्लू04
वस्तु प्रदर्श–9	मृतक का नेकर	पी0डब्लू04
वस्तुप्रदर्श–10	सीलमोहर बण्डल	पी0डब्लू04

13. अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 18.03.2026 को अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। परीक्षा के दौरान अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को झूठा बताया। गवाहों के बयानात के संबंध में कहा कि रंजिशन परिवारीजन ने झूठी गवाही दी है। पुलिस गवाहन के बयानों के संबंध में कहा कि विवेचक द्वारा एकतरफा विवेचना की गयी है और निराधार बिना स्वतन्त्र साक्ष्य आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। चिकित्सक साक्षीगण के बयानात के संबंध में कहा कि औपचारिक साक्ष्य दिया है।अभियुक्तगण का यह भी कथन है कि उन्हें रंजिशन झूठा नामजद किया गया है। कोई भी स्वतन्त्र गवाह उनके विरूद्ध उपस्थित नहीं हुआ है। वे निर्दोष हैं। अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. अभियोजन व बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये तर्कों के प्रकाश में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण और मूल्यांकन से पूर्व यह उचित प्रतीत हो रहा है कि अभियोजन के मौखिक साक्षियों के अभिसाक्ष्य का उल्लेख किया जाए।

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू01** ध्रुवकुमार शुक्ला (वादी मुकदमा) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि हाजिर अदालत रामकुमार, रंजीत, गंगाराम व दीवानी को वह भली–भांति जानता–पहचानता है। यह उसके गांव बसेती के रहने वाले हैं तथा अभियुक्त प्रेम हरिजन कुबेरपुर का रहने वाला है।वह उपरोक्त चारों अभियुक्तगण का रिश्तेदार है। घटना वाले दिन उसके पिताजी को रंजीत व रामकुमार ने पकड़ा था। दीवानी व गंगाराम ने ललकारा था तब प्रेम हरिजन ने उसके पिताजी के ऊपर जान से मारने की नियत से गोली मार दी थी। घटना दिनांक 14.02.2018 की है, समय दिन के 3.30 बजे का था। मृतक भोले प्रसाद शुक्ला, जो उसके पिता थे। वह बसेती चौराहे पर अभियुक्त रामकुमार की चक्की पर आटा लेने गये थे। जहॉ उपरोक्त पांचों अभियुक्तगण मौजूद थे। जहॉ आटा उठाने को लेकर विवाद हो गया और रामकुमार से उसके पिताजी की कहासुनी होने लगी। उसके पिताजी को गालियॉ सभी अभियुक्तगण देने लगे। तो उसके पिता जी द्वारा गालियॉ देने से मना करने पर अभियुक्तगण मारने–पीटने लगे। तब दीवानी व गंगाराम के ललकारने पर प्रेम हरिजन ने गोली मार दी। गोली उसके पिताजी के गर्दन में लगी थी। गोली लगने के बाद उसके पिताजी गिर गये थे। इस घटना को प्रहलाद कुमार व ज्ञानकुमार ने अपनी आंखों से देखा है। फायर की आवाज पर लोग एकत्रित होने लगे और शोर हो रहा था। तब तक वह भी पहुंच गया। पिताजी वहीं जमीन पर पड़े थे। तब हमलोग अपने पिताजी को मोटर साइकिल पर लाद कर थाने गये थे। वह भी साथ में था। पिताजी को पकड़कर वह मोटर साइकिल पर पीछे बैठा था। थाने के बाहर एक कम्प्यूटर की दुकान से एक सादा कागज लिया था और घटना के बाबत स्वंय प्रार्थना पत्र लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर बनाकर थाने पर देकर मुकदमा लिखाया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज 4क/3 तहरीर प्रार्थना पत्र पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पिताजी को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय, सीतापुर भेजा था। वह भी साथ में आया था। जहॉ उसी दिन भर्ती होने के बाद पिताजी की मृत्यु हो गयी। अस्पताल में दरोगा जी आये थे और पंचायतनामा की कार्यवाही हुई थी। दरोगा जी ने उसे भी पंच नियुक्त किया था। उसकी राय पूछी थी एवं उसके हस्ताक्षर भी करवाया था। शामिल पत्रावली पंचायतनामा पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। बाद में लाश को

पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जिसके बाद लाश प्राप्त होने पर हमलोगों ने पिताजी का अन्तिम संस्कार गांव में ही कर दिया था। वह जब घटनास्थल पर पहुंचा था वहॉ पर तमाम लोग गांव के एकत्रित होने लगे थे। तब सभी अभियुक्तगण गाली–गलौज देते हुये व धमकी देते हुए भाग गये थे। विवेचक ने उसका बयान लिया था और मौका देखा था एवं नक्शा बनाया था।

15.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू01** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि वह हाईस्कूल पास है। उसने हाईस्कूल वर्ष–2004 में पास किया था। इस समय वह किसानी करता है। उसका मकान गांव के आबादी में पूरब तरफ बना है। उसके मकान के आगे आबादी खतम होने तक कितने मकान बने हैं ? उसे ध्यान नहीं है। यह मकान करीब 100 मीटर की दूरी में बने हैं। गांव की आबादी खतम होने के बाद आगे चौराहा है, वहीं पर बाजार लगती है, बाजार बृहस्पतिवार व इतवार को लगती है। बाजार के दिनों के आलवा भी चौराहे पर कुछ लोग अपनी दुकान ले जाकर लगाते हैं। चौराहे पर 10–12 लोग हर समय उपस्थित रहते है। उसके घर का आटा व चावल पिसवाने एवं कुटवाने का कार्य रामकुमार की चक्की पर होता था। एक दिन पहले घटना से गेंहू डालने गये थे और घटना वाले दिन उठाने गये थे। रामकुमार का कारखाना उसके घर से करीब 125 मीटर दूर होगा। वह अपने घर से करखाना तक जाने के लिये पहले आरसीसी सडक, फिर कच्चे रास्ते से मुड करके डामर रोड से जाता है। उसे यह ध्यान नहीं है कि घर से कच्चे रास्ते के बीच कितनी लम्बी आरसीसी सड़क है। आरसीसी सड़क से डामर रोड तक कच्चा रास्ता कितना लम्बा है, उसे मालूम नहीं है। वह अपने घर से पूरब दिशा की तरफ निकलता है। यह आरसीसी सड़क मुड़ती हुई उत्तर को जाती है। कच्चा रास्ता जिस पर हम निकलते हैं, वह पूरब को जाता है। जिस डामर रोड से हमलोग चक्की पर जाते हैं, वह पूरब को जाता है। रामकुमार का कारखाना चौराहे से पूरब है, लेकिन कितनी दूर है ? उसे नहीं मालूम। उसके घर से कारखाना लगभग 125 मीटर दूर है। घर से कारखाने की दूरी के बीच में आबादी व सड़क है, खाली नहीं पड़ा है। आटा पिसाने हेतु पिताजी घर से लगभग 3 बजे शाम को गये थे। वह उस समय घर पर था। पिताजी जब कारखाने पर गये थे तो वहॉ पर कौन–2 था, उसने नहीं देखा था। अभियुक्त रामकुमार का अपने भाई दीवानी व रामासरे से बंटवारा काफी पहले हो चुका है। सब लोग अलग–2 मकानों में व अलग–2 धन्धा करते हैं। रामकुमार का कारखाना व दीवानी का मकान अलग–2 है। गंगाराम का भी मकान अलग है। अभियुक्त प्रेम, अभियुक्त रामकुमार का रिश्तेदार है। शायद यह मौसेरे भाई होगें। अभियुक्तगण रामकुमार, रंजीत व दीवानी के घर में

प्रेम 15 दिन पहले घटना से रह रहे थे। उसके पिताजी के चोट लगने के 4–5 मिनट बाद उसे सूचना मिली थी। फायर की आवाज व शोरगुल की आवाज सुनकर वह भी मौके पर गया था। उसे किसी व्यक्ति ने बताया नहीं था। उस समय उसके घर पर शौचालय नहीं बना था। शौच के लिए हमलोग गांव के पूरब जाते थे। वह शौच करने के लिए जा ही रहा था। वह बरमूड़ा व शर्ट पहन कर शौच के लिए जा रहा था। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन रामकुमार अपने साढ़ू के घर महोली गया था। यह उसे नहीं पता कि घटना से पूर्व उसके पिताजी का रामकुमार व रंजीत से कोई विवाद हुआ हो।

कारखाने से घटनास्थल लगभग 20 कदम होगा। वह अपने पिताजी को लेकर करीब 3.15–3.30 बजे निकला था। उसके घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उसके छोटे भाई कहीं से गाड़ी लेकर आ गये थे। प्रहलाद, ज्ञानकुमार व उसका मकान आपस में मिला हुआ है। यह सब उसके खानदानी हैं। यह कहना गलत है कि वह, प्रहलाद व ज्ञानकुमार, अभियुक्तगण रामकुमार व रंजीत से कोई जातिगत द्वेषभावना रखते हों। उसके पिताजी के संबंध रामकुमार व रंजीत के लड़के से अच्छे थे। घटना से पहले किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। उसने जो थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, वह लोगों से सुनी बातों के आधार पर दिया था। प्रार्थना पत्र थाने के बाहर उसने स्वंय लिखा था। ज्ञानकुमार व प्रहलाद उसके साथ थाने नहीं गये थे। वह करीब 3.30 बजे थाने पहुंच गया था। वह अपने पिता को लेकर पहले थाने गया था। थाने पर पहुंचकर उसे प्रार्थना पत्र लिखने में करीब 4–5 मिनट का समय लगा था। वह थाने पर प्रार्थना पत्र देने के बाद पिता जी को लेकर तुरन्त जिला अस्पताल सीतापुर आ गया था। घटना के बाद पिताजी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। घटना के बाद पिताजी ने केवल इतना बताया था कि रामकुमार व रंजीत को पैसे दिये हैं, उन्होने दौड़ाकर उसे पकड़ा था। यह बातें वह दरोगा जी को नहीं बता पाया था। यह कहना गलत है कि वह रामकुमार व रंजीत को मुकदमे में गलत तरीके से फंसाने के लिए मनगढ़ंत व झूठी गवाही दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त रामकुमार व रंजीत से उसके पिताजी से पैसे के लेनदेन वाली बात वह आज न्यायालय में मुकदमे में आवश्यक बल देने के लिए गलत लिखा रहा है। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त रामकुमार व रंजीत का इस घटना से कोई संबंध न हो। उसके पिताजी कुल 4 भाई थे। सबसे बड़े रामसनेही, फिर राजकुमार शुक्ला, फिर भोले प्रसाद शुक्ला व सबसे छोटे राकेश कुमार शुक्ला थे। रामसनेही के 2 लड़के रामजी शुक्ला व श्यामजी शुक्ला हैं। राजकुमार शुक्ला के 3 लड़के अशोक कुमार शुक्ला, प्रहलाद कुमार शुक्ला व विनोद

कुमार शुक्ला हैं। उसके चाचा राकेश कुमार शुक्ला के 1 लड़का ज्ञानकुमार शुक्ला है। ज्ञान कुमार शुक्ला व प्रहलाद कुमार शुक्ला इस मुकदमे में गवाह हैं, जो उसके चचेरे भाई हैं। उसके पिताजी की ससुराल ग्राम कोरैय्या उदयपुर में थी। उसे अपने नाना का नाम नहीं मालूम है। उसने अपने नाना को नहीं देखा है। उसके एक मामा है जिनका नाम मदन अवस्थी है।

घटना के समय वह किसानी करता था। जब उसके पिताजी आटा उठाने घर से निकले थे उस समय वह घर पर था। उसके पिताजी की घटना के समय उम्र करीब 54—55 साल रही होगी। उसके पिताजी उसकी उम्र से लगभग दूरी उम्र के थे। उसकी माताजी घटना के समय व आज भी जीवित हैं। उसकी शादी घटना से पहले हो गयी थी। घटना के समय उसके दो पुत्रियॉ थीं। उसके पिताजी जब आटा उठाने जा रहे थे,उस समय वह घर पर बैठा था।यह कहना गलत है कि वह घटना के समय चलने—फिरने में असमर्थ हो इसलिए वह चक्की पर आटा उठाने गये हों। उसके घर से चक्की की दूरी लगभग 125 मीटर है। घर से चक्की तक जाने में करीब 4—5 मिनट का समय लगेगा। उसके पिताजी आटा उठाने साइकिल लेकर पैदल गये थे। उसने अपने पिताजी को साइकिल ले जाकर जाते देखा था। घर से बाहर निकलने पर साइकिल से पैदल गये, या बैठकर गये ? उसे नहीं मालूम। चक्की उसके घर से पूरब की तरफ है। उसका मकान गांव के पूरब तरफ है। उसके घर के पूरब जंगल पड़ा है। उसके घर के उत्तर रामसनेही शुक्ला का मकान है। उसके घर के दक्षिण आरसीसी रोड है। आरसीसी रोड के बाद दक्षिण शिवकुमार सिंह का मकान है। उसके घर के पश्चिम कुंज बिहारी शुक्ला का मकान है। उसके पिताजी से घर से करीब तीन सबा तीन बजे दिन में निकले थे। वह पिताजी के घर से निकलने के बाद करीब 4—5 मिनट बाद शौच के लिये निकला था। घर से शौच के लिए वह पूरब दिशा में गया था। पूरब दिशा में करीब 80—90 कदम दूर पहुंचा था कि तभी उसे फायर की आवाज व शोर सुनाई दिया। बस्ती के अन्दर चौराहे पर ही पहुंचे थे तभी उसे फायर की आवाज सुनाई दी। चौराहे से पूरब ग्राम पचैनापुर को रोड़ जाती है। पश्चिम गांव की तरफ व उत्तर ग्राम हाजीपुर तथा दक्षिण ग्राम फदिलापुर को रोड़ जाती है। चौराहे के पूरब थोड़ी दूर बस्ती है। चौराहे के पश्चिम पहला मकान चौकीदार नाम के व्यक्ति का पड़ता है। यह सड़क से दक्षिण है।चौराहे के उत्तर पश्चिम राधे तेली का मकान है। घटना के समय वह, चौकीदार व नत्थू आरख के घर के मध्य में था। चौकीदार व नत्थू आरख के घर के बीच में थोड़ा घूरा (कूड़े का ढ़ेर) पड़ा है। वह शौच के लिए पानी का डिब्बा लेकर पानी भरकर घर से निकला था। वह शौच के लिए ज्यादातर चक्की के पूरब की तरफ जाता है। उसे

नहीं पता था कि उसके पिताजी साइकिल लेकर आटा उठाने जा रहे हैं। आटा लेने वाली बात की जानकारी उसे घटनास्थल पर हुई थी।

जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तो वहॉ पर प्रहलाद व ज्ञान पहले से मौजूद थे। उसे घटनास्थल पर कोई अभियुक्त मौजूद नहीं मिला।वह जब घ टनास्थल पर पहुंचा था तो उसके पिताजी की साइकिल रोड़ के किनारे पड़ी थी। साइकिल रोड के उत्तर कारखाने के पड़ोस में पड़ी थी। उसके ताऊ राजकुमार शुक्ला को उपनाम कल्लू के नाम से भी जाना जाता था। उसके ताऊ रामसनेही शुक्ला की भी ससुराल कोरैय्या उदयपुर में है।उसके ताऊ के साले का नाम शिवभगवान अवस्थी है। उसके पिता जी व उसके ताऊ जी की ससुराल एक ही परिवार में है। उसका ननिहाल आना–जाना रहता है।ग्राम कोरैय्या उदयपुर में अवस्थी परिवार के अलावा शुक्ला आदि कई अन्य पंड़ित परिवार रहते है।इसी ग्राम में रामकुमार शुक्ला जी भी रहते हैं। वह उनको थोड़ा–बहुत जानता है।उसके पिताजी के रामकुमार शुक्ला से कोई ताल्लुक नहीं थे, किन्तु उसके ताऊ रामसनेही शुक्ला के रामकुमार शुक्ला से ताल्लुक थे। रामकुमार शुक्ला राजनैतिक पकड़ वाले व्यक्ति हैं। रामकुमार शुक्ला ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, सदस्य नहीं हुए थे। रामकुमार शुक्ला ऐलिया के ज्येष्ठ उप ब्लाक प्रमुख थे या नहीं? उसे नहीं मालूम। वह जब मौके पर पहुंचा था तो अभियुक्तगण वहॉ पर नहीं मिले थे। उसने एफ0आई0आर0 प्रहलाद कुमार व ज्ञानकुमार के बताने के अनुसार लिखायी थी। घटनास्थल पर पिताजी के खून बह रहा था। पिताजी को उठाने में उसके कपड़ों पर पिताजी का खून लग गया था। हांथ व शर्ट में खून लग गया था। उसके पहुंचने के बाद उसकी माताजी मौके पर पहुंची थीं। मौके पर उसकी चाची व ताईजी भी आयी थीं। मौके पर पहुंचने के 4–5 मिनट बाद पिताजी को लेकर मोटर साइकिल से थाने गया था। मोटर साइकिल श्यामजी चला रहे थे।यह उसके चचेरे भाई हैं। वह पिताजी को पकड़कर पीछे बैठा था। तहरीर उसने थाना परिसर के बाहर स्वंय अपने हांथ से लिखी थी। कागज थाने के सामने कम्प्यूटर की दुकान से लिया था, पेन उसके पास जेब में लगा था। मोटर साइकिल श्यामजी की थी।उसके मौके पर पहुंचने के तुरन्त बाद श्यामजी आये थे। श्यामजी मौके पर इत्तेफाकन आ गये थे। थाने के अन्दर वह, श्यामजी व पिताजी तीनों लोग अन्दर गये थे। थाने करीब तीन–सबा तीन बजे पहुंचा था। थाना कार्यालय में पिताजी को उतारकर ले गया था व थाने के मुंशी को दिखाया था। रिपोर्ट लिखने का कागज उसे थाने से नहीं मिला था। थाने से वह सीतापुर में श्याम की मोटर साइकिल से नहीं गया था बल्कि इ0सु0 की गाड़ी से गया था। पुलिस की गाड़ी में पुलिस बल के अतिरिक्त

वह, उसके पिताजी व श्यामजी थे। गाड़ी में चालक सहित कुल तीन पुलिस वाले थे। जो पुलिस बल सीतापुर उसके साथ आया था उसी ने भर्ती अस्पताल में कराया था। पुलिस बल में एस0आई0 इसरार अहमद थे। पं0नामा जिला अस्पताल में हुआ था। पुलिस वाले भर्ती कराने के बाद अस्पताल में रूके थे। किन्तु इस पुलिस ने पं0नामा की कार्यवाही नहीं की थी। कोतवाली पुलिस को सूचना उसने नहीं दी थी। अस्पताल प्रशासन ने दी होगी। पंचायतनामा भरने पुलिस कितने समय आयी थी, उसे ध्यान नहीं है।

पंचायतनामा मृत्यु वाले दिन ही हुआ था। पंचायतनामा भरने के समय सूर्य अस्त नहीं हुआ था, सूर्य अस्त होने वाला था। पोस्टमार्टम हेतु शायद कोतवाली के पुलिस वाले ले गये थे। पंचायतनामा भरने के समय कोतवाली व इ0सु0पुर की पुलिस जिला अस्पताल में मौजूद थी। पोस्टमार्टम अगले दिन हुआ था।यह कहना गलत है कि उसे अपने पिता की मृत्यु की जानकारी जिला अस्पताल में हुई हो। पंचायतनामा की कार्यवाही के समय एस0आई0 इसरार अहमद मौजूद थे। उसके गांव में शिव मंदिर है जो उसके घर के पूरब है, दूसरा शिव मंदिर उसके घर के पश्चिम है। दोनों की दूरी उसके घर से करीब बराबर है। उसके पिताजी ईश्वर के प्रति आस्था रखते थे और पूजापाठ करते थे। उसके पिताजी मंदिर कभी पूजा करने नहीं जाते थे। गांव के बहुत से लोग मंदिरों में पूजा करने जाते थे और अब भी करते हैं। उसके पिताजी खास अवसरों पर ईश्वर के प्रति व्रत भी रखते थे।उसके पिता जी शिवजी भगवान के प्रति आस्थावान थे। घटना वाले दिन शिव मंदिरों में पूजा पाठ के बारे में उसे जानकारी नहीं है। उसके गांव के शिव मंदिरों में उसकी जानकारी के अनुसार कोई पुजारी नियुक्त नहीं है। सभी लोग सामान्य रूप से पूजा करते हैं। मंदिर उसके जन्म से पहले के हैं इसलिए मंदिरों की प्राण–प्रतिष्ठा के बारे में कोई जानकारी नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन महाशवरात्रि के उपलक्ष्य में गांव के चौराहे पर शिवभक्तों ने भांगयुक्त ठण्ड़ाई का भण्डारा किया हो। यह भी कहना गलत है कि ठण्ड़ाई वितरित हो रही हो और उसी दौरान उपद्रव हो जाने के कारण प्रश्नगत घटना घटी हो। यह भी कहना गलत है कि उसने अपने चचेरे भाई ज्ञान व प्रहलाद के कहने पर प्रेम हरिजन को झूठा फंसा दिया हो। दरोगा जी ने उससे खून से सने कपड़े नहीं लिए थे। यह कहना गलत है कि कोरैय्या के रामकुमार शुक्ला की राजनैतिक पकड़ के चलते उसके पिताजी की मृत्यु के पश्चात थाना इ0सु0पुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया हो।यह भी कहना गलत है कि मुकदमा राय मशबिरा करके लिखाया हो।घटना दिनांक 14.02.18 की है। घटना का समय करीब 3.30 बजे दिन, एफ0आई0आर0 में लिखाया था, वह सही

है। एफ0आई0आर0 दर्ज होने का समय 3.45 अंकित है। उसके पिताजी का नाम भोले प्रसाद शुक्ला था। वह कुल चार भाई रामसनेही शुक्ला, राजकुमार उर्फ कल्लू, भोले प्रसाद शुक्ला(मृतक) व राकेश कुमार थे। राकेश कुमार के लड़के का नाम ज्ञान कुमार शुक्ला है। राजकुमार के लड़के का नाम अशोक कुमार, प्रहलाद व विनोद है। ज्ञान कुमार व प्रहलाद उसके पिताजी के भतीजे हैं।घटना घटित होते ज्ञान कुमार व प्रहलाद के अलावा किसी अन्य ने नहीं देखा था। घटना घटित होने के समय वह शौच के लिये जा रहा था। जैसे ही हम बसेती चौराहे पर पहुंचे थे वेसे ही उसे घ टना की सूचना मिली। बसेती चौराहे से उसके घर की दूरी करीब 125 मीटर दूर है। बसेती चौराहे से घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 3—4 मिनट का समय लगा था। बसेती चौराहे से घटनास्थल की दूरी करीब 80—90 कदम है। घटना घटित होने के समय वह मौके पर नहीं था। उसके पिताजी के चोट गर्दन के दाहिनी तरफ लगी थी। वह इनको जिला अस्पताल लेकर आया था। पिताजी को पहले थाने ले गया था। तहरीर लिखकर थाने में दी थी। पिताजी को गांव से थाने ले जाने में करीब 4—5 मिनट का समय लगा था। थाने मोटर साइकिल से ले गये थे। एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बाद पुलिस मौके पर आयी थी। अस्पताल में उसके पिताजी की मृत्यु करीब पौने चार—चार बजे हुई थी। उसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरा था। पोस्टमार्टम अगले दिन हुआ था। घटना के बारे में पुलिस ने उससे जिला अस्पताल सीतापुर में पूछताछ की थी। उसके बाद कोई पूछताछ नहीं की थी। पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर हुए थे। यह कहना गलत है कि वह मौके पर न होने की वजह से अभियुक्तगण के नाम गांव की रंजिशवश लिख दिये हों।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू02** ज्ञान कुमार शुक्ल (तथ्य का साक्षी) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि घटना दिनांक 14.02.2018 समय 3—3.30 बजे की है। घटना के समय रामकुमार की आटा चक्की पर रामकुमार, रंजीत, दीवानी, गंगाराम व प्रेमहरिजन बैठे थे। तभी आटा ले जाने के विवाद को लेकर रामकुमार व रंजीत, भोले प्रसाद को गाली—गुप्ता देने लगे। तो इन्होने गाली देने से मना किया। रामकुमार व रंजीत ने रोड़ पर भोले प्रसाद को दौड़ाकर पकड़ लिया और वहॉ मौजूद गंगाराम व दीवानी ने ललकार कर कहा कि प्रेम मार साले पंडित को,बहुत बौरा गया है। तभी प्रेम ने अपने फेंट से कट्टा निकाल कर भोले प्रसाद को लक्ष्य बनाकर पास से ही गर्दन पर फायर मार दी। उस समय वह व प्रहलाद इमलिया आ रहे थे। तभी इस घटना को उसने देखा व शोर मचाया। शोर पर ध्रुवकुमार और बहुत सारे लोग आ गये थे। तब अभियुक्तगण उपरोक्त गाली—गुप्ता व धमकी देते हुए पचैयना की तरफ भाग

गये। ध्रुवकुमार भोले प्रसाद को मोटर साइकिल पर बीच में बैठाकर इमलिया थाने ले गये। फिर जिला अस्पताल ले गये। पीछे से वह भी जिला अस्पतला पहुँच गया। इलाज होते समय भोले प्रसाद की मौत हो गयी। पंचायतनामें में वह मौजूद था। उसके सामने पंचायतनामा की लिखापढ़ी हुई थी। जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। घटना के समय मौका ए वारदात से खून आलूदा व सादी मिट्टी को कब्जे में लेकर अलग–2 डिब्बे में करके कपड़े में रखकर सीलमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया और एस0ओ0 साहब ने मौके पर फर्द तैयार की थी। फर्द पर उसने भी हस्ताक्षर बनाये थे। साक्षी ने शामिल पत्रावली फर्द खून आलूदा व सादी मिट्टी पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। पंचायतनामा होने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पुलिस वालों ने उसका बयान लिया था।

16.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू02** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि उसका मकान रामकुमार की चक्की से करीब 150 मीटर दूर है। रामकुमार का मकान व कारखाना अलग–2 है। रामकुमार के कारखाने से जो रास्ता उसके घर की तरफ जाता है उस पर एक मोड़ है। इस 150 मीटर की दूरी में ग्राम बसेती के मकान बने हैं। उसके आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र 32 वर्ष है। उस समय उसकी उम्र करीब 28–29 साल थी। रामकुमार का कारखाना आबादी के बाहर है। जिस जगह पर कारखाना है उस पर लोग आते–जाते रहते हैं। भोले प्रसाद का रामकुमार से कभी कोई विवाद नहीं रहा। इस कारखाने पर वह भी आटा पिसाने जाता था। भोले प्रसाद शुक्ला का मकान कारखाने से करीब 10 मीटर की दूरी पर है। भोले प्रसाद शुक्ला व रामकुमार के कारखाने के बीच भी आबादी है। रामकुमार की चक्की के बाद बाबूराम व दीपचंद का मकान है। उसके बाद राठौर लोगों का खण्डहर पड़ा है। जो राधेश्याम का है उसके बाद राधेश्याम का मकान है। उसके बाद सरवन, लोटन, विनोद आरख का मकान है। वहॉ से एक रोड संगरहीया की ओर मुड़ जाती है। गांव को जाने वाली सड़क सीधे तालाब तक जाती है। उस सड़क पर भोले प्रसाद शुक्ला का मकान नहीं है। भोले प्रसाद के मकान को जाने के लिए एक रास्ता रामकुमार के मकान के पहले पश्चिम को मुड़ता है जो आगे चलकर खाली जगह से होकर भोले प्रसाद व उसके भाईयों के मकान से होकर जाता है। रामकुमार के मकान से भोले प्रसाद का 50 मीटर पश्चिम की तरफ है। उसका मकान भोले प्रसाद के मकान के और पीछे चलकर स्थित बना है।

घटना का समय वह इसलिए निश्चित नहीं बता सकता है क्योंकि उसके पास घड़ी नहीं थी। भोले प्रसाद उसके सामने आटा लेने गये थे। वह साइकिल से गये थे। वहॉ 10–5 मिनट पहले गये थे। वह भोले प्रसाद के दरवाजे पर ही बैठा था। भोले प्रसाद शुक्ला उसके ताऊ हैं। उसके साथ प्रहलाद बैठे थे और कई लोग बैठे थे।मृतक के लड़के उस समय घर के अन्दर बैठे थे। उसने ध्रुवकुमार को बैठे हुये देखा नहीं था। वह इमलिया अपनी मोटर साइकिल से प्रहलाद के साथ जा रहा था। वह चौराहे से थोड़ा पहले पहुंचा था कि शोर सुनाई पड़ा। उसने शोर मचाते हुए हरिनाम व अन्य कई लोगों को देखा था। शोर घटना के पहले हुआ था। शोर करीब 5 मिनट पहले हुआ था। शोर सुनकर वह मुड़ा नहीं था। वहॉ पर काफी भीड़ थी। यह चौराहा गांव के बाहर है। इस चौराहे से ही गांव का प्रवेश है। चौराहे के पूरब राधेश्याम का मकान है। उस मकान में एक आधे लोग रहते हैं। पश्चिम–उत्तर राधेश्याम का मकान है। दक्षिण रामपाल का मकान है। चौराहे के आसपास जिन लोगों के मकान हैं वह लोग चौराहे पर उसके पहुंचने से पहले मौजूद थे। वह कपड़ा पहने व मोटर साइकिल लिए ही बैठा था। उनके निकलने के बाद ही एक या दो मिनट बाद अपनी मोटर साइकिल से निकला था। वह दो मिनट में भोले प्रसाद के घर से चौराहे पर पहॅुच गया था। जब वह पहुंचा था तब शोर हो रहा था। जब वहॉ पहुंचा तब वहॉ पर कहासुनी हो रही थी। कहासुनी आटा चक्की पर हो रही थी। आटा चक्की 30–40 कदम की दूरी पर होगी। राधेश्याम के मकान से लेकर रामकुमार के कारखाने तक 6 मकान नहीं हैं। कारखाने से गांव के चौराहे तक दीवानी, गंगाराम, बाबूराम व राधेश्याम का खण्डहर नहीं है। कारखाने के सामने खाली एक खेत पड़ा है। कोई आबादी नहीं है। इस बीच में बॉस के कई पेड़ थनियॉ नहीं लगी है। जब वह चौराहे पर था तब ध्रुवकुमार डिब्बा लेकर शौच जा रहे थे। जहॉ पर रामकुमार का कारखाना बता रहा है वहॉ पर रोड मुड़ी हुई नहीं है। उसके पहले सड़क के किनारे पेड़ नहीं लगे हैं। यह कारखाना सड़क से 50 फीट पीछे नहीं बना है। उसका मकान भोले शुक्ला के मकान से 15 मकान पीछे नहीं बना है। उसका मकान सड़क से दो बार मुड़ने से नहीं पड़ता है बल्कि सीधे पड़ता है। वह अपने ताऊ भोले शुक्ला को घायल अवस्था में थाने नहीं ले गया था।

वह जिला अस्पताल दोपहर 3–3.30 बजे पहुंच गया था तब वह मर चुके थे। जब वह पहुंचा तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। करीब 5 बजे पंचायतनामा भरा गया था। उस समय वह वहॉ पर मौजूद था। भोले शुक्ला के पूरे शरीर को उसने देखा था। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। वह निशान गोली लगने से आये थे। छर्रे गर्दन में लगे थे ओर शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। यह कहना गलत है

कि अभियुक्तगण गंगाराम, दीवानी, रामकुमार व रंजीत के परिवार से उसके परिवार की कोई पुरानी रंजिश है। खून आलूदा मिट्‌टी के नमूने के समय वह विवेचक के साथ गया था। उस समय उसके साथ प्रहलाद भी थे और कोई नहीं गया था। खून आलूदा मिट्‌टी लेने के पश्चात उसके हस्ताक्षर बनवा लिए थे। दिनांक 16 को उसके घर पर दरोगा जी आये थे। घर पर वह अकेला मिला था और लोग भी थे केवल उससे व प्रहलाद से पूछताछ करके चले गये थे। उसने दरोगा जी को चौराहे पर खड़े होने वाली बात मोटर साइकिल से बताई थी। अगर उपरोक्त बात दरोगा जी ने उसके बयानों में नहीं लिखी है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता है। उसने भोले शुक्ला को घायल अवस्था में उठाया नहीं था, न ही उसने अपनी मोटर साइकिल पर बैठाया था और न ही वह थाने गया था। अभियुक्तगण अनुसूचित जाति चमार के हैं। वहलोग स्वर्ण ब्राम्हण बिरादरी के हैैं। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण गंगाराम, दीवानी, रामकुमार व रंजीत आदि का इस घटना से कोई संबंध न हो और वह जातिगत द्वेषभावना के कारण झूठी गवाही उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दे रहा है। भोले शुक्ला को मोटर साइकिल पर पकड़ कर किस व्यक्ति ने बैठाया ? उसका नाम वह नहीं बता सकता है। उस व्यक्ति को उसने देखा है परन्तु इस समय याद नहीं है। न ही वह उसका नाम जानता है। ध्रुवकुमार मोटर साइकिल घर लेने नहीं गये थे। जिस मोटर साइकिल से भोले शुक्ला को ले गये थे वह मोटर साइकिल किसकी थी ? वह नहीं जानता है। न ही उसका नम्बर उसे मालूम है। उसने अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया। उसे यह नहीं मालूम कि इलाज कितने घंटे चला था। वह सीतापुर 20–25 मिनट बाद पहुंच गया था। वह प्रेम को पहले ही जानता है। उसके पिताजी का नाम मिहीलाल है। इससे भोले शुक्ला की कोई दुश्मनी नहीं थी। प्रेम से उसकी दोस्ती नहीं है। प्रेम उसके घर कभी आया–गया नहीं है। उसने बचाने का प्रयास किया और शोर मचाया। अभियुक्त प्रेम हरिजन ग्राम बसेती में नहीं रहता था। बगल गांव कुबेरपुर में रहता था। प्रेम रिश्तेदारी में अभियुक्तों के यहॉ आया था।

आटा चक्की अभियुक्त रामकुमार की है। रंजीत, रामकुमार का लड़का है एवं अभियुक्तगण दीवानी व गंगाराम, अभियुक्त रामकुमार के परिवार के हैं। घटना के समय वह व प्रहलाद मोटर साइकिल से इमलिया जा रहे थे। इमलिया में घरेलू सामान खरीदने जा रहे थे। प्रहलाद उसके ताऊ का लड़का है। प्रहलाद को सामान नहीं खरीदना था। लेकिन साथ में जा रहा था। जब वह गांव के चौराहे पर पहुंचा था तब उसे घटना की जानकारी हुई।घटनास्थल पर आस–पड़ोस के कुछ लोग मौके पर पहुंच गये थे। जब उसने देखा तब भोले प्रसाद चोटहिल अवस्था में जमीन

पर गिरे पड़े थे। वह चूंकि दूर से देख रहा था इसलिए उसने पास पहुंचकर भोले प्रसाद शुक्ला को नहीं उठाया था। फिर वह इमलिया प्रहलाद के साथ गया था। कुछ समय रूक कर इमलिया से सीतापुर आ गया था। इमलिया से वह कुछ देर रूककर कर स्वतः जिला अस्पताल सीतापुर आ गया था। जब वह जिला अस्पताल, सीतापुर पहुंचा था तब उसे जानकारी हुई कि भोला प्रसाद शुक्ल की मृत्यु हो गयी है। इसके उपरान्त जिला अस्पताल में शव की लिखापढ़ी हुई थी और उसने पंचनामे में हस्ताक्षर किये थे। उसे यह जानकारी हुई थी कि भोले प्रसाद शुक्ला को ध्रुवकुमार मोटर साइकिल से जिला अस्पताल सीतापुर ले गये थे। जिला अस्पताल में पंचायतनामा की कार्यवाही में उसने हस्ताक्षर किये थे।जब वह जिला अस्पताल पहुंचा था तो 3–4 पुलिस आरक्षी तथा 3–4 लोग मौजूद थे। भीड़ लगी थी। वह जिला अस्पताल अपने ताऊ के लड़के प्रहलाद के साथ मोटर साइकिल से पहुंचा था। इमलिया से उसे करीब 20–25 मिनट जिला अस्पताल पहुंचने में लगा होगा। उसके गांव बसेती से इमलिया बाजार करीब तीन–साढ़े तीन किमी0 होगा। बसेती गांव से घटना के उपरान्त वह इमलिया बाजार गया था फिर इमलिया बाजार से जिला अस्पताल सीतापुर चला गया था। इस बीच प्रहलाद पुत्र राजकुमार घटनास्थल से लेकर इमलिया बाजार से जिला अस्पताल तक साथ बने रहे। अभियुक्त रामकुमार एवं रंजीत की आटा चक्की ग्राम बसेती की आबादी से बाहर बसेती चौराहे से 20–25 कदम की दूरी पर स्थित होगी। ग्राम बसेती में रामकुमार की आटा चक्की के अलावा दूसरी वाली आटा चक्की भी गांव की आबादी के बाहर है। वह आटा चक्की मुन्ना निषाद की है। मुन्ना उसके ही गांव के रहने वाले हैं। रामकुमार की आटा चक्की के स्थान पर ईट लगी है। मशीन आदि नहीं लगी है। रामकुमार की आटा चक्की को कोर्ट के आदेश पर हटाया गया था। एस0डी0एम0 साहब के आदेश पर लेखपाल व पुलिस के माध्यम से अभियुक्त रामकुमार की आटा चक्की हटवाई गयी थी। उसकी जानकारी अनुसार अभियुक्त रामकुमार ने ग्रामवासी भगौता की जमीन खरीद कर स्थापित नहीं की थी, बल्कि वह जमीन उसकी जानकारी अनुसार ग्राम समाज की है।

अभियुक्त रामकुमार ने अपनी आटा चक्की वाले स्थान पर पुनः आटा चक्की स्थापित करने का प्रयास किया था जिस पर उसके ताऊ के लड़के ध्रुवकुमार व गांव के कुछ लोगों ने रोका था। उसकी जानकारी के अनुसार रामकुमार ने उसी स्थान पर पुनः स्थापित करने के लिए 1–2 बार प्रयास किया था। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अभियुक्त रामकुमार की शिकायत पर शासन या किसी उच्च अधिकारी द्वारा आटा चक्की एवं आटा चक्की वाले स्थान के संबंध में कोई जॉच

आदि की गयी या नहीं। घटना के बाद से रामकुमार एवं रंजीत की कोई आटा चक्की स्थापित नहीं हो सकी। आटा चक्की पुनः स्थापित करने का 1–2 बार प्रयास अभियुक्त रामकुमार ने किया है इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। मौके पर घटना उपरान्त लगभग 10–50 लोग जरूर रहे होगें। घटना उपरान्त भोले प्रसाद को चोटहिल हालत में ध्रुवकुमार मोटर साइकिल से लेकर चले थे तब तीसरा व्यक्ति भोले को पीछे से पकड़ कर बैठा था, वह कौन था ? इसकी उसे जानकारी नहीं है। मोटर साइकिल कहॉ से, कौन लेकर मौके पर पहुंचा था, किसकी मोटर साइकिल मौके पर लाई गई थी। इमलिया बाजार जिसमें वह घटना वाले दिन गया था वह एक बड़ी बाजार है। बाजार में सामान खरीदने के उपरान्त में घटना वाले दिन खरीदा गया सामान साथ लेकर सीतापुर नहीं आया था। फिर साक्षी ने कहा कि उसने सामान ही नहीं खरीदा था।इमलिया बाजार में घटना उपरान्त जहॉ वह गया था उस इमलिया बाजार में 2–4 मिनट करीब रूका होगा और फिर इमलिया बाजार से जिला अस्पताल सीतापुर भाई प्रहलाद के साथ आ गया था। जब मौके पर वह पहुंचा तब भोले प्रसाद पर पहली नजर पड़ने पर उसने देखा कि वह जमीन पर 10–5 कदम की दूरी पर मुॅह के बल गिरे पड़े थे। मुकदमा लिखाये जाने के बाद ध्रुव ने उसे बताया था कि उसने साक्षी को गवाही में रखा है और न्यायालय में गवाही देनी होगी। उसे तहरीर देखकर जान मिला था कि उसे ध्रुव ने मुकदमे का गवाह बनाया है। उसे घटना वाले दिन ही जानकारी में आ गया था कि ध्रुवकुमार ने उसे गवाह बनाया है। यह कहना गलत है कि उसने अपने भाई ध्रुव के कहने पर न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठी गवाही दी हो। यह भी कहना गलत है कि उसने न्यायालय में सिखाने–पढ़ाने से अभियुक्तगण के विरूद्ध रटाई गयी साक्ष्य दी है।यह कहना गलत है कि भोले प्रसाद के साथ घटी घटना में अभियुक्तगण रामकुमार, रंजीत, दीवानी व गंगाराम का कोई भी रोल न रहा हो। भोले प्रसाद उसके परिवार के व उसकी बिरादरी के हैं। भोले प्रसाद के परिवार में उसका आना–जाना व निमंत्रण होता रहता है। प्रेम हरिजन को वह जानता है। वह पड़ोस पुरवा में रहते हैं उसका नाम कुबेरपुर है। भोले प्रसाद व प्रेमहरिजन से आपसी रंजिश नहीं थीं उसे नहीं पता आटा को लेकर प्रेम हरिजन व भोले प्रसाद के बीच कोई विवाद हुआ हो। उसने भोले प्रसाद को घटना वाले दिन घर पर सुबह देखा था। भोले प्रसाद के दरवाजे पर प्रेम हरिजन नहीं खड़ा था। यह कहना गलत है कि वह जाति–बिरादरी–खानदान का होने के कारण झूठी गवाही दे रहा हो। यह भी कहना गलत है कि भोले प्रसाद व प्रेम हरिजन से झगड़ा होते हुए वह जानबूझकर छिपा रहा हो।

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू03** प्रमोद कुमार मिश्रा (पंचायतनामा का साक्षी) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि मृतक भोले प्रसाद शुक्ला उसके ममेरे भाई थे। घटना दिनांक 14.02.2018 की है। घटना सुनकर वह जिला अस्पताल, सीतापुर गया था। जहॉ पर भोले प्रसाद शुक्ला मृत हो चुके थे। उनके साथ गांव के तमाम लोग व परिवारीजन मौजूद थे। कोतवाली नगर सीतापुर के दरोगा जी द्वारा लाश को उलट–पलट कर पंचायतनामा उसके सामने भरा गया था।साक्षी ने शामिल पत्रावली पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया।दरोगा जी ने वहीं उसका बयान भी लिया था।

17.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू03** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि उसके सामने पंचायतनामा की कार्यवाही के समय ज्ञान कुमार पुत्र राकेश, प्रहलाद पुत्र राजकुमार मोटर साइकिल से जिला अस्पताल पहॅुचे थे। फिर गवाह ने कहा कि यह लोग घर के हैं और उससे पहले ही जिला अस्पताल पहुंच गये थे। पंचायतनामा पर ज्ञान कुमार पुत्र राकेश कुमार व अन्य पंचों ने उसके सामने हस्ताक्षर किये थे। उसे मृतक भोले प्रसाद के मरने की सूचना सुबह मिली थी। दिनांक 14.02.2018 को मिली थी।घर से वह अस्पताल आया था। जब वह अस्पताल पहुंचा तो लाश अस्पताल में शवग्रह में रखी थी। ज्ञान प्रकाश शुक्ला व अशोक कुमार शुक्ला पहले से वहीं पर थे। शवग्रह से लाश निकाली गयी थी और उलट–पलट कर देखी गयी थी। मृतक के शरीर पर चोट के निशान बांये तरफ पेट में गोली का निशान व दाहिने तरफ सीने पर निशान था। उसका दरोगा जी ने कभी बयान नहीं लिया था। दरोगा जी ने उसके बयान में क्या लिखा है? उसे नहीं मालूम।

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू04** पुलिस निरीक्षक राय साहब द्विवेदी(विवेचक मु0अ0सं0–30 / 2018) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 14.02.2018 को पर्चा नं0–1 किता किया, जिसमें नकल चिक अवलोकन, रपट कायमी, बयान एफ0आई0आर0 लेखक, नकल फर्द बाबत कब्जा लेने एक डिब्बा खून आलूदा मिट्टी व एक डिब्बा सादी मिट्टी घटना स्थल से, अवलोकन इंजरी रिपोर्ट मजरूब भोले प्रसाद अवलोकन नकल रपट जिसमें भोले प्रसाद शुक्ला जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था। फायर आर्म इंजरी के कारण दौरान इलाज मृत्यु हो गई जिसके आधार पर धारा–147,307,504,506 भा0दं0सं0 से धारा–147,148,149,302,504,506 भा0दं0सं0 में तरमीम किया गया। दिनांक 15.02.2018 को पर्चा नं0–2 किता किया गया, जिसमें बयान वादी ध्रुवकुमार शुक्ला व उन्हीं की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया

गया एवं बयान समई साक्ष्य हरनाम व अवधेश का अंकित किया गया तथा उसी दिन पर्चा नं0–2ए अतिरिक्त पर्चा किता किया गया, जिसमें गिरफ्तारी अभियुक्त पारा नहर पुलिया गोला रोड समक्ष गवाहान ज्ञान कुमार व प्रहलाद समय 22.30 बजे हिरासत पुलिस में लेकर पूंछताछ के दौरान घटना में प्रयुक्त देशी तमंचा 12 बोर की बरामदगी हेतु स्थान खेत शिवराम प्रसाद ग्राम बसेती में बताया। अभियुक्त के बताये हुए रास्ते से चलकर खेत ईख शिव प्रसाद आकर जमीन के अंदर खोद कर एक अद्द कट्टा व एक अद्द जिन्दा कारतूस पुलिस कब्जा लेकर खोलकर देखा था। नाल के अंदर एक अद्द खोखा कारतूस लोड़ था। कब्जा लेकर मौके पर टार्च की राशनी में तैयार किया गया तथा साथ में गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया। बयान अभियुक्त अंकित किया गया। बरामदगी अवैध तमंचा का नक्शा नजरी तैयार किया गया एवं बरामद शुदा अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस, एक अद्द खाली खोखा कारतूस को एक कपड़े में सर्वसील मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। दिनांक 16.02.2018 को पर्चा नं0–3 किता किया जिसमें चश्मदीद गवाह ज्ञान कुमार व प्रहलाद का बयान अंकित किया। दिनांक 17.02.2018 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। दिनांक 18.02.2018 को पर्चा नं0–5 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। दिनांक 19.02.2018 को पर्चा नं0–6 किता किया, जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। दिनांक 21.02.2018 को पर्चा नं0–7 किता किया, जिसमें पंचायतनामा व पी0एम0 मृतक भोला प्रसाद, का अवलोकन कर दर्ज किया गया। मजीद बयान वादी/गवाह पंचान अशोक कुमार, श्याम किशोर तथा नकल रोपकार हाजिरी अभियुक्तगण गंगाराम, रामकुमार व रंजीत का नकल किया गया। दिनांक 28.02.2018 को पर्चा नं0–8 किता किया गया, जिसमें हाजिर अदालत अभियुक्त जो जिला कारागार में निरूद्ध थे, के धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयान लेने हेतु न्यायालय में निवेदन किया गया है। दिनांक 05.03.2018 को पर्चा नं0–9 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त दीवानी की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। दिनांक 12.03.2018 को पर्चा नं0–10 किता किया गया, जिसमें जेल में निरूद्ध अभियुक्तगण रामकुमार, गंगाराम व रंजीत के बयान अंकित किये। उसी दिनांक को पर्चा नं0–10ए(पूरक पर्चा) में नकल रोपकार हाजिर अभियुक्त दीवानी की नकल की गई। दिनांक 19.03.2018 को पर्चा नं0–11 किता किया, जिसमें न्यायालय से 14 दिवस रिमाण्ड की याचना की गई। दिनांक 22.03.2018 पर्चा नं0–12 किता किया,जिसमें जेल में निरूद्ध अभियुक्त दीवानी का धारा–161 दं0प्र0सं0 का बयान लेने हेतु न्यायालय से निवेदन किया गया। दिनांक 23.03.2018 को पर्चा नं0–13 किता किया, जिसमें जेल में निरूद्ध अभियुक्त दीवानी का बयान अंकित किया

गया एवं बयान गवाह पंचान प्रमोद कुमार मिश्रा का अंकित किया। दिनांक 31.03. 2018 को पर्चा नं0–14 किता किया, जिसमें न्यायालय से 14 दिवस का रिमाण्ड स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 03.04.2018 को पर्चा नं0–15 किता किया, जिसमें आलाकत्ल फर्द के गवाहान एस0आई0 इशरार अहमद, आरक्षी वेद प्रकाश, आरक्षी नसरूद्दीन खॉ के बयान अंकित किये गये। दिनांक 08.04.2018 को पर्चा नं0–16 किता किया, जिसमें नकल पावती एफ0एस0एल0 लखनऊ की नकल की गई और पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र सं0–82/2018 धारा–147,148, 149,302,504,506 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण प्रेम हरिजन, रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम के विरूद्ध न्यायालय प्रेषित किये जाने हेतु किता किया गया। घटनास्थल से कब्जे में लिये जाने खून आलूदा एक डिब्बा सादी मिट्टी मुकदमे से सम्बन्धित दिनांक 14.02.2018 की फर्द बनाकर कब्जे में लिया गया था। फर्द पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। आलाकत्ल बरामदगी का नक्शा नजरी उसके द्वारा तैयार किया गया था। साक्षी ने शामिल पत्रावली आलाकत्ल बरामदगीस्थल व घटना स्थल के नक्शा नजरी पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–3 व 4** डाला गया। फर्द बरामदगी एक अदद 12 बोर कट्टा, एक कारतूस जिंदा, एक खोखा कारतूस 12 बोर की प्रमाणित छाया प्रति सम्बन्धित पत्रावली के साथ सत्र परी0सं0–233/2018 में संलग्न है। जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। गिरफ्तारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति अभियुक्त प्रेम हरिजन शामिल पत्रावली है। शामिल पत्रावली फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी प्रपत्र पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।शामिल पत्रावली आरोप पत्र सं0–85/2018 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त आलाकत्ल की बरामदगी के उपरान्त अभियुक्त प्रेम हरिजन के विरूद्ध मु0अ0सं0–33/2018 दिनांक 16.02. 2018 धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम उसने पंजीकृत कराया था। जिसके विवेचक द्वारा उसका बयान अंकित किया गया और उसने विवेचक को घटनास्थल का निरीक्षण कराया था। दो अद्द सर्व मोहर बण्डल थाना मालखाने से प्रस्तुत किया गया। जिसमें जो प्लास्टिक के डिब्बे में सील था जिसके ऊपर मुकदमे से सम्बन्धित विवरण व धारा आदि अंकित है, जो मु0अ0सं0–33/2018 से सम्बन्धित माल मुकदमा है, जिसमें एक अद्द देशी तमंचा 12 बोर की पुष्टि किया। जिस पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। जिसके साथ में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कोड नं0–001/21 व खोखा कारतूस पर ईसी–1 पड़ा हुआ है, पर **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया। एक अद्द जिन्दा कारतूस जिस पर एलसी–1 विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा

अंकित किया गया है, पर **वस्तु प्रदर्श–3** डाला गया। जिसके साथ में एक लिफाफे पर टीसी–1, टीसी–2 पड़े हुए दो खोखा कारतूस भी निकले। एक अद्द प्लास्टिक का डिब्बा, जिसको तत्समय गिरफ्तारी व बरामदगी के समय सील मोहर किया गया था,वह डिब्बे पर मौजूद है, पर **वस्तु प्रदर्श–4** डाला गया। एक अद्द सर्वमोहर बण्डल लाश पोटली(खून आलूदा) व सादी मिट्टी एवं एक जनेऊ तथा अभियुक्त द्वारा किये गये फायर, जो मृतक के शरीर से दौरान पोस्टमार्टम निकले थे तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जॉच के उपरान्त प्रेषित किये गये थे, जो एक पुड़िया में 15 अदद छर्रे हैं। खून आलूदा मिट्टी का डिब्बा,सादी मिट्टी का डिब्बा, छर्रे की पुड़िया, जनेऊ, मृतक का नेकर व सील मोहर बण्डल पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–5** लगायत **वस्तु प्रदर्श–10** डाला गया। इसके उपरान्त उसके द्वारा दिनांक 20.05.2018 को पूरक पर्चा नं0–1 में परीक्षण रिपोर्ट व अभियोजन अनुमति प्राप्त होने के कारण पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के पत्र का अवलोकन किया गया। पूरक पर्चा नं0–2 दिनांक 10.06.2018 को अभियोजन अनुमति हेतु निवेदन के उपरान्त अनुमति प्रदान करने के पश्चात अवलोकन किता किया गया। पूरक पर्चा–3 दिनांक 28.06. 2018 को किता किया गया, जिसमें अनुस्मारक विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त हुई जिसकी नकल किता की गई एवं एससीडी के प्रपत्र न्यायालय प्रेषित किये गये।

18.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू04** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि मुकदमा कायमी के उपरान्त चिक अवलोकन किया था तथा चिक में वर्णित तथ्यों के आलोक में विवेचना प्रारम्भ की थी। चिक में अंकित तथ्य के अनुसार "आज दिनांक 14 फरवरी,2018 को समय दिन में साढ़े तीन बजे मेरे पिता जी भोले प्रसाद––चौराहे पर गये थे जहॉ पर प्रेम हरिजन आदि से उन्हीं के कारखाने पर आटा लेने के विवाद को लेकर प्रेम पुत्र मिहीलाल––जान से मारने की नियत से मेरे पिता जी के ऊपर 12 बोर के कट्टे से फायर कर दिया––सभी गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते चले गये––" के आलोक में विवेचना प्रारम्भ की गयी थी जिसमें प्रेम को फायर करने का रोल दर्शित किया गया है तथा अन्य नामजद अभियुक्तों का प्रेम के साथ मौजूद होना और गाली–गलौज करना अंकित है। विवेचना में तहरीर में वर्णित आटा लेने के विवाद के संबंध में प्रकाश में आया था कि गेंहू पिसवाने को लेकर विवाद हुआ था। घटना के संबंध में निष्पक्ष साक्षी के रूप में दौरान विवेचना ज्ञान कुमार पुत्र राकेश व प्रहलाद पुत्र राजकुमार निवासीगण ग्राम बसेती का बयान अंकित किया था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी का बयान रोजनामचा खास में अंकित नहीं है। यह उसकी जानकारी में नहीं

है कि ज्ञान कुमार व प्रहलाद उपरोक्त वादी के परिवार के हैं वादी द्वारा दी गई तहरीर में अंकित दो गवाह उपरोक्त ज्ञान कुमार व प्रहलाद का बयान दौरान विवेचना उसके द्वारा निष्पक्ष साक्षी के रूप में अंकित किया गया है। दौरान विवेचना उसे जो भी साक्ष्य उपलब्ध हुए उनको विवेचना में शामिल किया व रोजनामचा खास में अंकित किया। दौरान विवेचना अभियुक्त प्रेम के मानसिक रोग की जानकारी उसे दी गई और न ही प्रकाश में आई।यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के संदर्भ में उसके द्वारा निष्पक्ष विवेचना न की गई हो एवं वादी के दबाब में वादी द्वारा बताये गये कथित झूठे साक्षीगण का बयान अंकित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया हो। यह भी कहना गलत है कि वादी के दबाब में उसके द्वारा निष्पक्ष साक्ष्य एकत्र न की गयी हो। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण रामकुमार, रंजीत व दीवानी कथित घटना में न शामिल रहे हों। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण रामकुमार व रंजीत से मृतक भोले का कोई भी आटा लेने का विवाद न हुआ हो। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने कोई गाली–गुप्ता दी हो और न ही घटना में शमिल हों। इमलिया सुल्तानपुर थाने में वह लगभग दो साल तैनात रहा है। अभियुक्त के बताने पर वह 12 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद किया था। उसके मुख्य बयान में अभियुक्त का नाम नहीं लिखाया है। किस अभियुक्त के बताने पर उसने देशी तमंचा 12 बोर बरामद किया है जिसमें समक्ष गवाहों के नाम लिखे हैं। किस अभियुक्त के साथ उसने तमंचा बरामद किया है उसका नाम उसने नहीं लिखा है। उसका नाम फर्द में उसने लिखा है। उसके मुख्य बयान में उसने यह बताया है कि खेत ईख शिव प्रसाद जमीन के अन्दर एक अद्द कट्टा व कारतूस कब्जा पुलिस लेकर देखा था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी 22.30 बजे करने के बाद उसके बताये हुए रास्ते से चलकर 12 बोर कट्टा व खोखा कारतूस बरामद किया गया था जिसमें जमीन खोदने का समय अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि फर्द उसने थाने पर लिखी थी। फर्द लिखने का समय उसे याद नहीं है। बरामदगी का नक्शा नजरी उसने बनाया था। जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। बरामदगी के समय ज्ञान कुमार व प्रहलाद मौजूद थे जिनके उसने फर्द पर हस्ताक्षर कराये थे। दिनांक 18.02.2018 व 19.02.2018 को किस अभियुक्त की दबिश दी गई, यह उसने अपने बयान में नहीं कहा। यह कहना गलत है कि उसने कोई बरामदगी नहीं की है। यह कहना गलत है कि जो उसके द्वारा बरामदगी की गई है वह थाने पर की गई है। यह कहना गलत है कि उसने राजनैतिक दबाब में आकर गलत ढंग से विवेचना की है । वह

घटना वाले दिन घटनास्थल पर गया था। जिस कारखाने पर आटा पीसने का विवाद होने का कथन अपनी विवेचना में किया है वह कारखाना गंगाराम की नहीं है। रामकुमार की है जो इनके परिवारीजन हैं। उसने गंगाराम का मकान देखा है वह कारखाने से हटकर है। आटा पीसने का विवाद रामकुमार की चक्की पर हुआ था। गंगाराम उनके साथ चक्की पर मौजूद थे। मौजूद होने वाली बात वादी व गवाहान ने बताई तथा तहरीर में गंगाराम का नाम दिया था। यह जानकारी नहीं है कि कारखाना चल रहा था या नहीं ? घटनास्थल का नक्शा नजरी उसने दूसरे दिन घटना के बनाया था। गंगाराम का मकान सडक से एक मकान छोड़कर है। उसे याद नहीं कि मृतक की साइकिल कितनी दूरी पर थी। जब वह मौके पर गया था तब न घटनास्थल पर साइकिल और न उस पर आटे की बोरी लदी थी। इसकी उसे जानकारी नहीं कि अभियुक्त प्रेम–गंगाराम की रिश्तेदारी थी या नहीं। घटना स्थल से वादी मुकदमा का मकान करीब 300–400 मीटर दूर होगा। घटनास्थल से वादी मुकदमा के घर पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है, 2–3 मोड़ पड़ते थे व घर से कोई व्यक्ति न तो आवाज सुन सकता है न ही देख सकता है। वादी मुकदमा ने गंगाराम से कभी कोई पुरानी रंजिश स्वंय उसका व पिता का विवाद होना नहीं बताया था। गंगाराम से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई। वादी मुकदमा को अपने घर से घटनास्थल पहुंचने में कम से कम 2–3 मिनट का समय लगेगा। साक्षी ज्ञान कुमार घटनास्थल के पास थे इन्होने घटनास्थल के पास से घटना अपनी आंखों से देखा था।

घटना के समय गवाहान कहॉ पर मौजूद थे, उस स्थान को उसने अपनी विवेचना के दौरान अपनी नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं किया है और उस स्थान की दूरी उसने दौरान विवेचना नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं की है। गवाहान के आने के रास्ते को ऐरो मार्ग से चिन्हित करके दर्शाया गया है। उसने अपनी विवेचना में गवाहान के आने की बात अंकित की है, परन्तु कौन गवाहान आये हैं, उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। यह कहना सही है कि नक्शा नजरी उसने उस दिन नहीं बनाया था। बाद में बनाया था। उसने नक्शा नजरी दिनांक 15.02.2018 को बनाया था। जिस स्थान पर घटनास्थल है यह रास्ता ग्राम बसेती को मुख्य मार्ग से जोड़ता है। उसने विवेचना के दौरान वादी मुकदमा द्वारा किया गया कथन कि मेरे पिता आटा चक्की से साइकिल पर आटा लेकर आ रहे थे। मृतक की साइकिल व आटे की बोरी कौन उठा ले गया, उसके बारे में वादी मुकदमा ने उसे नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि उसने वादी मुकदमा के कहने पर गलत तथ्यों पर आधारित विवेचना की है।यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा दबंग

प्रकृति के व्यक्ति थे उनके पिता की हत्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है जिसमें गंगाराम का कोई लेना–देना नहीं है। यह कहना गलत है कि जिस समय हत्या हुई है उस समय गंगाराम गांव में नहीं थे।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू05** मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार यादव(चिक एफ0आई0आर0 लेखक मु0अ0सं0–30/2018) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 14.02.2018 को समय 15.45 बजे थाना इमलिया सुल्तानपुर में वह बतौर आरक्षी मोहर्रिर कार्यरत था। उसी समय शिकायतकर्ता ध्रुवकुमार शुक्ला की तहरीर के आधार पर उसने मु0अ0सं0–30/2018 धारा–147,307,504,506 भा0दं0सं0 विरूद्ध प्रेम हरिजन, रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम कम्प्यूटर पर चिक किता किया था। शामिल पत्रावली कम्प्यूटरीकृत चिक पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। चिक किता करने के साथ–2 चिक का खुलाशा रपट सं0–29 समय 15.45 बजे उक्त दिनांक को उसके द्वारा किया गया था। शामिल पत्रावली कायमी जी0डी0 की प्रति पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा उसका बयान उसी दिन अंकित किया गया था।

19.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू05** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि चिक सीआरनं0–30/18 कितने बजे कम्प्यूटर पर टंकण किया गया था इस का उल्लेख चिक पर अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि समय विपरीत थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया हो। ध्रुवकुमार शुक्ला वादी मुकदमा है। जिनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा धारा–147,307,504,506 भा0दं0सं0 अंकित किया गया था। इसकी एक कापी कम्प्यूटर से निकाल कर वादी मुकदमा को दी गई। उसने एफ0आई0आर0कर्ता को रिपोर्ट लिख उसको पढ़कर सुनाया था। तब उसने कहा था कि तहरीर पर उसके मूल हस्ताक्षर बने हैं। यह रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज की गयी थी। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा के दबाब में समय विपरीत मुकदमा दर्ज की गई हो।

20. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू06** पुलिस निरीक्षक अरून कुमार अस्थाना(विवेचक मु0अ0सं0–33/2018) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 16.02.2018 को थाना इमलिया सुल्तानपुर में वह कार्यरत था।उस दिन उसने मु0अ0सं0–33/2018 धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम सरकार बनाम प्रेम हरिजन थाना इ0सु0पुर की विवेचना ग्रहण किया था। नकल चिक, नकल रपट व गिरफ्तारी मेमो की प्रति प्राप्त हुई थी। जिसका अवलोकन कर सी0डी0 में इन्द्राज किया गया था। उस दिन उसने पर्चा नं0–1 किता किया था,

जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर सी0डी0 में किता किया तथा आरक्षी नवर्देश्वर तिवारी व अभियुक्त प्रेम हरिजन का बयान अंकित किया। पर्चा नं0–2 दिनांक 20.02.2018 को किता किया, जिसमें वादी मुकदमा व फर्द बरामदगी के गवाह थानाध्यक्ष राय साहब द्विवेदी का बयान अंकित किया तथा फर्द के गवाह आरक्षी वेद प्रकाश व एस0आई0 इसरार अहमद का बयान सी0डी0 में अंकित किया तथा बरामदगी स्थल का उपरोक्त गवाहों की निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाया।शामिल पत्रावली बरामदगीस्थल के नक्शा नजरी पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया।पर्चा नं0–3 दिनांक 10.03.2018 को किता किया, जिसमें फर्द के गवाह नसरूद्दीन का बयान अंकित किया।पर्चा नं0–4 दिनांक 22.03.2018 को किता किया, जिसमें फर्द के गवाह ज्ञान कुमार शुक्ला व प्रहलाद कुमार शुक्ला का बयान अंकित किया और अभियोजन स्वीकृति के लिए उसके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पर्चा नं0–5 दिनांक 29.03.2018 को किता किया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत आदेश अवलोकन करते हुए साक्षीनुसार आरोप पत्र सं0–74/2018किता कर विवेचना समाप्त की गयी। आरोप पत्र कागज सं0–4ख/1 कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा तैयार किया गया था।शामिल पत्रावली अभियोजन स्वीकृति व आरोप पत्र पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिन पर **प्रदर्श क–11 व प्रदर्श क–12** डाला गया।

20.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू06** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि उसे अभियुक्त प्रेम के विरूद्ध धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम की विवेचना प्राप्त हुई थी। गवाह नसरूद्दीन का बयान उसने अंकित किया था। फर्द बरामदगी एफ0आई0आर0 की पुष्टि की। नक्शा–नजरी उसके द्वारा बनाया गया। घटनास्थल के पूरव खेत और पश्चिम में सम्भवतः नहर है और उत्तर–दक्षिण खेत तथा रोड क्रमशः है।मु0अ0सं0–33/2018 धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम में सरकार बनाम प्रेम हरिजन में दर्ज किया गया था। उसके द्वारा उक्त वाद में धारा–302 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी नहीं की गयी, अन्य विवेचक द्वारा की गयी था। विवेचना के दौरान उसका स्थानान्तरण नहीं हुआ था। उसके द्वारा कोई शस्त्र की बरामदगी नहीं की गयी है। उसके द्वारा विवेचना की गयी है। जो फर्द बनाई गयी थी उसमें ज्ञान कुमार के बयान अंकित किये गये थे। यह कहना गलत है कि उसने राजनैतिक दबाब में आकर बयान दिया हो। यह भी कहना गलत है कि वादी मुकदमा को लाभ पहुंचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हो।

21. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू07** पुलिस निरीक्षक रायमणि शुक्ला(पंचायतनामा कर्ता) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 14.02.2018 को थाना कोतवाली में वह उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था।उसी दिन मृतक भोले पुत्र राम भरोसे निवासी बसेती थाना इ0सु0पुर, जिला सीतापुर के शव के पंचनामा के बाबत अस्पताल से मेमो आया था।जिस पर उसने मोर्चरी पहुंचकर पंचायतनामा की कार्यवाही समय 17.15 बजे से शुरू किया था एवं 18.10 बजे कार्यवाही पूर्ण की थी। लाश मोर्चरी सदर अस्पताल में रखा था। उसके शव को घरवालों ने पहचान करवायी थी, काफी लोग मौजूद थे। उन्ही में से पंचान नियुक्त करके उनकी राय अंकित की गयी थी। पंचायतनामा पर अलामात बनवाये गये थे। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पी0एम0 करवाना आवश्यक था। शव को आरक्षी शशिधर मिश्रा को पी0एम0 हेतु सुपुर्द कर दिया था और सम्बन्धित दीगर कागजात दे दिये थे।शामिल पत्रावली पंचायतनामा, नमूना मोहर, चालान लाश, फोटो लाश, चिट्ठी आर0आई0/सी0एम0ओ0 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिनपर क्रमशः **प्रदर्श क–13** लगायत **प्रदर्श क–18** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

21.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू07** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि जिला अस्पताल के वार्डव्याय द्वारा भेजी गयी सूचना के आधार पर वह नियमानुसार पंचायतनामा के कागजात लेकर सदर अस्पताल पहुंचा था। उस पर पंचो की मौजूदगी में पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी थी। मौके पर उपस्थित मृतक के परिजनों को पंच बनाया था जिनकी राय पंचायतनामा पर अंकित की गयी थी। जिसमें बताया था कि "सभी पंचों से अलग–2 एवं एक साथ मृतक की मृत्यु के बारे में पूछा गया तो सभी पंचों ने एक राय होकर बताया कि मृतक भोले ग्राम बसेती में गेंहू––चक्की पर गये थे जहॉ उनको गोली मार दी गयी। गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु दौरान इलाज अस्पताल में हो गयी है। इसके अलावा पूर्व से दर्ज मुकदमे के अ0सं0 एवं धारा की जानकारी पंचों द्वारा दी गयी थी। किन्तु इसके अलावा अन्य तथ्यात्मक जानकारी घटना सम्बन्धी पंचों द्वारा उसे नहीं दी गयी थी।पंचों द्वारा उसी समय अ0सं0 एवं धारा की जानकारी लिखापढ़ी के समय दी गयी थी। यह कहना गलत है कि अ0सं0 व धारा समय विपरीत पंचायतनामा में बाद में अंकित किया गया हो। पंचायतनामा के किसी भी प्रपत्र पर अ0सं0 व धारा अंकित नहीं है, किन्तु पंचायतनामे के फार्म में शीर्ष में एवं प्रोफार्मा के शुरूवात में ही अ0सं0 दर्ज है व धारा दर्ज है। यह सही है कि पंचायतनामा की कार्यवाही के समय उसके द्वारा पंच ध्रुव कुमार, ज्ञान कुमार, अशोक

कुमार आदि से घटना करने वालों के नाम के बारे में पूछा गया व घटना के बारे में पूछा गया था। तो किस भी आदमी का नाम किसी भी पंच ने उस समय नहीं बताया था, लेकिन यह बताया था कि मृतक की हत्या गोली मारने से हुई है।

22. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू08** डा0 एस0के0 वर्मा (पोस्टमार्टम कर्ता) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 15.02.2018 को जिला अस्पताल, सीतापुर में वह मेडिकल आफीसर के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसकी ड्यूटी पी0एम0 हेतु लगी थी। मृतक भोला प्रसाद शुक्ल उम्र 55 वर्ष निवासी बसेती, थाना इ0सु0पुर, जिला सीतापुर का पी0एम0 उसके द्वारा किया गया था। मृतक की शिनाख्त आरक्षी शशिधर मिश्रा द्वारा की गयी थी। उक्त मृतक दिनांक 14.02.2018 समय 4.00 बजे शाम को सदर अस्पताल, सीतापुर में भर्ती रहा था। मृतक की ऊंचाई 160सेमी0 थी। पी0एम0 स्टेनिंग पीछे की तरफ मौजूद थी। आर0एम0 ऊपर तथा नीचे हांथ–पैरों में थी।

<u>**एन्टीमार्टम इंजरी**</u>

1. Multiple fire arm entry injury 0.5X0.5सेमी0X deep cavity जिसमें से कुछ 0.5X0.5सेमी0Xmuscle deep थी। जो कि गर्दन के दांये तरफ एवं सामने एवं ऊपरी छाती के दाई तरफ थी। जिसका क्षेत्रफल 14सेमी0X15सेमी0 था।

2. Abraded contusion सामने व ऊपरी दांयी दाती में था। जो कि दायीं कालर वोन के बाहरी भाग से 7सेमी0 नीचे की ओर स्थित था।

मस्तिष्क की झिल्लियॉ व मस्तिष्क Pale था। दाया प्यूरल लेस्रेटेड व दांया प्यूरल केविटी में 1500एमएल जमा हुआ रक्त मिला था। दांया फेंफड़ा लेस्रेटेड था। आमाशय में 350 एमएल अधपचा भोजन मिला था। लीवर व स्लीन Pale थे। पित्ताशय खाली मिला था। 15 छर्रे छाती से मिले थे जिन्हें सील करके सम्बन्धित आरक्षी को दे दिया गया था। मृत्यु का समय जिला अस्पताल सीतापुर में 4.20 पी0एम0 दिनांक 14.02.2018 था। मृत्यु का कारण शाक एवं हेमरेज due to firearm injuries था। शामिल पत्रावली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–19** डाला गया।

22.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू08** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि पी0एम0 रिपोर्ट में अंकित पहली एन्टीमार्टम चोट फायर आर्म की चोट है। दूसरी चोट रगड़ के कारण हो सकती है, जो कि फायर लगने के उपरान्त चोटहिल के जमीन पर गिरने के कारण यह रगड़ की चोट आना सम्भव है। उसके लिए यह बता पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है कि पहली फायर

आर्म की चोट मृतक को कितनी दूरी से पहुंचाई गयी होगी क्योंकि इसके बारे में वैलिस्टिक एक्सपर्ट ही बता पायेगें।

23. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू09** मुख्य आरक्षी नवर्देश्वर तिवारी(चिक एफ0आई0आर0 लेखक मु0अ0सं0–33/2018) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 16.02.2018 को थाना इमलिया सुल्तानपुर में वह बतौर मुख्य आरक्षी कार्यरत था। उस दिन वादी मुकदमा थानाध्यक्ष राय साहब द्विवेदी तहरीर छाया प्रति फर्द लेकर थाना हाजा उपस्थित आये और साथ में एक अदद कट्टा 12 बोर, एक जिन्दा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस 12 बोर और गिरफ्तार शुदा एक अभियुक्त लेकर आए थे। उसी फर्द के आधार पर उसने मु0अ0सं0–33/2018 धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम विरूद्ध प्रेम हरिजन कम्प्यूटर पर स्वंय तैयार किया था। जिसका खुलाशा उसी दिन रपट नं0–3 पर समय 00.30 बजे किया गया था। इसे उसने कम्प्यूटर पर तैयार किया था। चिक एफ0आई0आर0 व रपट पर तत्कालीन थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं। शामिल पत्रावली चिक एफ0आई0आर0 व रपट पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–20 व प्रदर्श क–21** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। बरामद माल को मालखाने में रखा गया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को हवालात मर्दाना में अन्दर किया गया।

23.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू09** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि वह वर्ष 2016 से थाने में तैनात रहा है, तारीख उसे नहीं याद है। यह कहना गलत है कि उसने झूठी फर्द के आधार पर थानाध्यक्ष के दबाब में झूठा मुकदमा दर्ज किया हो। फर्द उसके सामने नहीं लिखी गयी। इसलिए लिखने के संबंध में अब जानकारी नहीं है। माल मुकदमा सील मोहर हालत में आया था। उसे याद नहीं है कि सील बन्द माल मुकदमा पर अ0सं0 व धारा अंकित था या नहीं ? यह भी कहना गलत है कि फर्जी बरामदगी को साबित करने के लिए झूठी साक्ष्य दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि वह उच्च अधिकारियों के दबाब में सही बात न बता रहा हो।

24. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू010** डा0 इन्द्रेश्वर वर्मा (चिकित्सीय परीक्षणकर्ता) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 14.02.2018 को जिला चिकित्सालय में वह बतौर ई0एम0ओ0 तैनात था। उस दिन भोला प्रसाद पुत्र राम भरोसे निवासी ग्राम बसेती, थाना इ0सु0पु0, जिला सीतापुर को आरक्षी नसरूद्दीन गम्भीर हालत में जिला चिकित्सालय, सीतापुर की इमरजेंसी में लेकर आये थे। जिनका उपचार व चिकित्सीय परीक्षण समय करीब

4.00 बजे शाम को किया गया था। जिनकी पल्स, बी0पी0 एस0पी0ओ0टी(जिस्म आक्सीजन) रिकार्ड नहीं हो रहा था। जिनकी चोटों का विवरण निम्न है:–

Multiple injury wound 3एमएमX1एमएम Over the right side of the neck size 9सेमी0X4सेमी0 blackening and tattooing present activity bleeding present। गर्दन का एक्सरे कराने की सलाह भी दी गयी।

<u>चोटों की प्रकृति</u>

फायर आर्म इंजरी चोटों की अवधि ताजी थी तथा उपयोग में लाया गया हथियार आग्नेयास्त्र। मरीज की स्थिति को देखते हुए मरीज को लखनऊ मेडिकल कालेज रिफर किया गया। किन्तु इलाज के दौरान समय 4.20 बजे चोटहिल भोला प्रसाद की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी थी। शामिल पत्रावली चोट प्रपत्र बेड हेड टिकट पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिनपर क्रमशः **प्रदर्श क–22** व **प्रदर्श क–23** डाला गया।

24.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू010** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि डाक्टरी मुआयने में चोटहिल अवस्था में भोला प्रसाद को उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके शरीर पर सिंगल शाट का Multiple injury wound पाया गया था। चूंकि चोटहिल के घाव के चारों तरफ blackening and tattooing पायी गयी थी, जिससे स्पष्ट होता है कि आग्नेयास्त्र व चोटहिल के मध्य ज्यादा से ज्यादा 2–3 फिट रही होगी। भोला प्रसाद चोटहिल को आरक्षी नसरूद्दीन द्वारा भर्ती कराया गया। जैसा कि मेडिकल प्रपत्र(बीएचटी) बेड हेड टिकट प्रदर्श क–23 में अंकित है तथा बी0एच0टी0 में प्रपत्र के सबसे नीचे कालम में रिश्तेदार का पूरा नाम भी मो0 नसरूद्दीन के हस्ताक्षर मौजूद हैं। सम्भावना है कि प्रपत्रानुसार रिश्तेदारबाद में आये होगें और रिफर स्लिप प्राप्त की थी।

<u>निष्कर्ष</u>

25. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण प्रेम हरिजन, रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 14.02.2018 को समय 15.30 बजे बहद स्थान कारखाना अभियुक्त रामकुमार, ग्राम बसेती, अन्तर्गत थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर मे नाजायज आग्नेयास्त्र से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव करते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा ध्रुव कुमार शुक्ला के पिता भोला प्रसाद की आग्नेयास्त्र से फायर कर हत्या कारित की तथा गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी तथा दिनांक 15.02.2018 को समय 22.30 बजे बहद स्थान गोला रोड पारा नहर पुलिया ग्राम पारा थाना इमलिया

सुल्तानपुर, जिला सीतापुर से थानाध्यक्ष राय साहब द्विवेदी की टीम द्वारा अभियुक्त प्रेम हरिजन को गिरफ्तार किया गया और तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से नाजायज एक देशी तमंचा 12 बोर, एक अद्द जिन्दा कारतूस 12 बोर एवं एक अद्द खोखा कारतूस बरामद हुए, जिसे रखने का अभियुक्त के पास कोई लाइसेंस नहीं था।

26. अभियोजन को अपना मामला अपनी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से आरोपीगण के विरूद्ध युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करना है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा तथा मूल्यांकन उपरोक्त आरोप के संदर्भ में किया जाएगा।

27. धारा–147 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है कि "जो कोई व्यक्ति बलबा कारित करेगा, वह दो वर्ष के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

धारा–148 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है कि "जो कोई व्यक्ति घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलबा कारित करेगा, वह तीन वर्ष के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

धारा–149 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है कि "यदि विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा। "

धारा-302 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है कि "जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

धारा–504 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है कि " जो कोई किसी व्यक्ति को लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान करेगा, वह दो वर्ष के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा, या जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।"

धारा–506 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है कि "जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।"

28. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 14.02.2018 को दिन के 3.30 बजे वादी मुकदमा के पिता मृतक भोला प्रसाद को बसेती चौराहे पर जब वह आटा लेने गये थे तो आरोपीगण प्रेम हरिजन, रामकुमार, रंजीत, गंगाराम व दीवानी से वाद–विवाद हुआ और अभियुक्त प्रेम हरिजन ने 12 बोर के कट्टे से वादी मुकदमा के पिता पर फायर कर दिया, जो मृतक के गले में दाहिने तरफ लगा। मौके पर ज्ञान कुमार व प्रहलाद आदि ने घटना देखी।ललकारने पर आरोपीगण जानमाल की धमकी देकर चले गये। वादी मुकदमा अपने पिता को लेकर रिपोर्ट लिखाने गया और अस्पताल ले गया। अस्पताल में वादी मुकदमा के पिता की मृत्यु हो गयी।

29. बचाव पक्ष की ओर से यह मौखिक बहस की जा रही है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। वादी मुकदमा भी मौके का गवाह नहीं है तथा जिनकी गवाही हुई है, वह मौके पर उपस्थित नहीं है।अभियोजन साक्ष्य में गम्भीर किस्म की तात्विक विसंगतियॉ मौजूद हैं। जो अभियोजन केस की विश्वसनीयता को भंग कर रही हैं। साक्ष्य से मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं हो रहा है। दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया जा रहा है।

30. विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता की ओर से यह मौखिक दलील दी जा रही है कि सभी आरोपीगण ने एक राय होकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में घटनास्थल पर विधि विरूद्ध जमाव घातक आयुध लेकर किया और वादी मुकदमा के पिता की गोली मार कर दिन–दहाड़े हत्या कारित कर दी। घटना को स्वतन्त्र साक्षियों ने देखा है और साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित किया है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में कोई गम्भीर त्रुटियॉ नहीं हैं, जो त्रुटियॉ हैं वह तुच्छ प्रकृति की हैं। सभी साक्षीगण ने घटना का समर्थन किया है। दिनांक 14.02. 2018 को 3.30 बजे बसेती ग्राम, कारखाना, बसेती चौराहे के पास घटना कारित की गयी है। मजरूब भोला प्रसाद को वादी मुकदमा इलाज हेतु अस्पताल ले गया। जिला अस्पताल में उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ और भर्ती किया गया। मजरूब की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गयी। पंचायतनामा भरा गया। अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय व ठोस है। घटना साबित हो रही है। दोषसिद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया है।

31. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए साक्षी पी0डब्लू01 वादी मुकदमा ध्रुव कुमार शुक्ला परीक्षित हुए हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य से प्रदर्श क–1 तहरीरी रिपोर्ट को साबित किया है। साक्षी ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि हाजिर अदालत रामकुमार, रंजीत, गंगाराम व दीवानी को वह भली–भांति जानता–पहचानता है। यह उसके गांव बसेती के रहने

वाले हैं तथा आरोपी प्रेम हरिजन कुबेरपुर का रहने वाला है।वह उपरोक्त चारों आरोपीगण का रिश्तेदार है। घटना वाले दिन उसके पिताजी को रंजीत व रामकुमार ने पकड़ा था। दीवानी व गंगाराम ने ललकारा था तब प्रेम हरिजन ने उसके पिताजी के ऊपर जान से मारने की नियत से गोली मार दी थी। घटना दिनांक 14.02.2018 की है, समय दिन के 3.30 बजे का था। मृतक भोले प्रसाद शुक्ला, जो उसके पिता थे। वह बसेती चौराहे पर आरोपी रामकुमार की चक्की पर आटा लेने गये थे। जहॉ उपरोक्त पांचों आरोपीगण मौजूद थे। जहॉ आटा उठाने को लेकर विवाद हो गया और रामकुमार से उसके पिताजी की कहासुनी होने लगी। उसके पिताजी को गालियॉ सभी आरोपीगण देने लगे। तो उसके पिता जी द्वारा गालियॉ देने से मना करने पर अभियुक्तगण मारने–पीटने लगे। तब दीवानी व गंगाराम के ललकारने पर प्रेम हरिजन ने गोली मार दी। गोली उसके पिताजी के गर्दन में लगी थी। गोली लगने के बाद उसके पिताजी गिर गये थे। इस घटना को प्रहलाद कुमार व ज्ञानकुमार ने अपनी आंखों से देखा है। फायर की आवाज पर लोग एकत्रित होने लगे और शोर हो रहा था। तब तक वह भी पहुंच गया। पिताजी वहीं जमीन पर पड़े थे। तब हमलोग अपने पिताजी को मोटर साइकिल पर लाद कर थाने गये थे। वह भी साथ में था। पिताजी को पकड़कर वह मोटर साइकिल पर पीछे बैठा था। थाने के बाहर एक कम्प्यूटर की दुकान से एक सादा कागज लिया था और घटना के बाबत स्वंय प्रार्थना पत्र लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर बनाकर थाने पर देकर मुकदमा लिखाया था। पिताजी को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय, सीतापुर भेजा था। वह भी साथ में आया था।जहॉ उसी दिन भर्ती होने के बाद पिताजी की मृत्यु हो गयी। अस्पताल में दरोगा जी आये थे और पंचायतनामा की कार्यवाही हुई थी। दरोगा जी ने उसे भी पंच नियुक्त किया था। उसकी राय पूछी थी एवं उसके हस्ताक्षर भी करवाया था। शामिल पत्रावली पंचायतनामा पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जिसके बाद लाश प्राप्त होने पर हमलोगों ने पिताजी का अन्तिम संस्कार गांव में ही कर दिया था। वह जब घटनास्थल पर पहुंचा था वहॉ पर तमाम लोग गांव के एकत्रित होने लगे थे। तब सभी आरोपीगण गाली–गलौज देते हुये व धमकी देते हुए भाग गये थे। विवेचक ने उसका बयान लिया था और मौका देखा था एवं नक्शा बनाया था।

इस साक्षी ने दौरान जिरह भी घटना का समर्थन किया है और यह बयान दिया है कि **"आरोपीगण का घटना से पहले किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। उसके पिताजी के संबंध आरोपी रामकुमार व रंजीत के लड़के से अच्छे थे। जहॉ पर घटना हुई है वह कारखाने से लगभग 20 कदम दूर होगा। उसके पिताजी**

तीन–सबा तीन बजे मौके पर गये थे। वह भी घटना होने के तुरन्त बाद मौके पर आ गया था। घटना के समय वह शौच के लिए जा रहा था। फायर की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचा तो घटना देखा। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो ज्ञान कुमार व प्रहलाद पहले से मौजूद थे। वह थाने पर मोटर साइकिल से गया था। मृत्यु वाले दिन ही पंचायतनामा हो गया था।एफ0आई0आर0 उसी दिन 3.45 बजे लिखायी गयी थी।"

32. अभियोजन की ओर से पी0डब्लू02 के रूप में ज्ञान कुमार शुक्ला परीक्षित हुए हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि घटना दिनांक 14.02.2018 समय 3–3.30 बजे की है। घटना के समय रामकुमार की आटा चक्की पर रामकुमार, रंजीत, दीवानी, गंगाराम व प्रेमहरिजन बैठे थे। तभी आटा ले जाने के विवाद को लेकर रामकुमार व रंजीत, भोला प्रसाद को गाली–गुप्ता देने लगे। तो इन्होने गाली देने से मना किया। रामकुमार व रंजीत ने रोड़ पर भोला प्रसाद को दौड़ाकर पकड़ लिया और वहॉ मौजूद गंगाराम व दीवानी ने ललकार कर कहा कि प्रेम मार साले पंडित को,बहुत बौरा गया है। तभी प्रेम ने अपने फेंट से कट्टा निकाल कर भोला प्रसाद को लक्ष्य बनाकर पास से ही गर्दन पर फायर मार दी। उस समय वह व प्रहलाद इमलिया आ रहे थे। तभी इस घटना को उसने देखा व शोर मचाया। शोर पर ध्रुवकुमार और बहुत सारे लोग आ गये थे। तब आरोपीगण उपरोक्त गाली–गुप्ता व धमकी देते हुए पचैयना की तरफ भाग गये। ध्रुवकुमार भोला प्रसाद को मोटर साइकिल पर बीच में बैठाकर इमलिया थाने ले गये। फिर जिला अस्पताल ले गये। पीछे से वह भी जिला अस्पतला पहॅुच गया। इलाज होते समय भोला प्रसाद की मौत हो गयी। पंचायतनामें में वह मौजूद था। उसके सामने पंचायतनामा की लिखापढ़ी हुई थी। जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। घटना के समय मौका ए वारदात से खून आलूदा व सादी मिट्टी को कब्जे में लेकर अलग–2 डिब्बे में करके कपड़े में रखकर सीलमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया और एस0ओ0 साहब ने मौके पर फर्द तैयार की थी। फर्द पर उसने भी हस्ताक्षर बनाये थे। साक्षी ने शामिल पत्रावली फर्द खून आलूदा व सादी मिट्टी पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। पंचायतनामा होने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पुलिस वालों ने उसका बयान लिया था।

33. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू02 ने जिरह में यह बयान दिया है कि **"भोला प्रसाद का रामकुमार से कभी कोई विवाद नहीं रहा है। भोला प्रसाद उसके सामने**

आटा लेने चक्की पर साइकिल से गये थे। 10–15 मिनट पहले गये थे। वह प्रहलाद के साथ मोटर साइकिल से इमलिया सुल्तानपुर जा रहा था तभी उसने घटना देखी। जब वह मौके पर पहुंचा तो चक्की पर कहासुनी हो रही थी। भोला प्रसाद के पूरे शरीर को देखा था। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। जो गोली लगने से आये थे। छर्रे गर्दन पर भी लगे थे। दरोगा जी ने खून आलूदा मिट्टी लेने के पश्चात उसके हस्ताक्षर बनवाए थे। उसने घायल अवस्था में भोला प्रसाद को उठाकर अपनी मोटर साइकिल पर नहीं बैठाया था न ही थाने लेकर गया। ध्रुव कुमार जिस मोटर साइकिल से भोला प्रसाद को लेकर गये थे, वह किसकी थी ? उसे नहीं मालूम। भोला शुक्ला की आरोपीगण से कोई पहले दुश्मनी नहीं थी, दोस्ती भी नहीं थी। प्रेम हरिजन ग्राम बसेती में नहीं रहता बल्कि कुबेरपुर में रहता है। घटनास्थल पर वह कुछ देर रूककर इमलिया सुल्तानपुर चला गया था। पंचायतनामा की कार्यवाही में हस्ताक्षर किये थे। भोला प्रसाद मौके पर चुटहिल अवस्था में जमीन पर गिर गये थे।"

34. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू03 प्रमोद कुमार मिश्रा परीक्षित हुए हैं। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा मे यह बयान दिया है कि मृतक भोले प्रसाद शुक्ला उसके ममेरे भाई थे। घटना दिनांक 14.02.2018 की है। घटना सुनकर वह जिला अस्पताल, सीतापुर गया था। जहॉ पर भोला प्रसाद शुक्ला मृत हो चुके थे। उनके साथ गांव के तमाम लोग व परिवारीजन मौजूद थे। कोतवाली नगर सीतापुर के दरोगा जी द्वारा लाश को उलट–पलट कर पंचायतनामा उसके सामने भरा गया था।साक्षी ने शामिल पत्रावली पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया।दरोगा जी ने वहीं उसका बयान भी लिया था।

इस साक्षी ने जिरह में यह बयान दिया है कि **"पंचायतनामा पर ज्ञान कुमार व अन्य पंचों ने उसके सामने हस्ताक्षर किये थे। मृतक के शरीर पर बांयी तरफ पेट में गोली का निशान व दाहिने तरफ सीने पर निशान था। "**

35. बचाव पक्ष द्वारा यह बहस की जा रही है कि अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य पेश की गयी है, उस साक्ष्य में गम्भीर विसंगतियॉ व विरोधाभाष है। साक्ष्य से मामला साबित नहीं हो रहा है। इस तर्क के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण से यह पाया जा रहा है कि वादी मुकदमा पी0डब्लू01 ध्रुव कुमार शुक्ला यद्यपि मौके का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, लेकिन घटना के तुरन्त बाद यह साक्षी फायर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा है। वहॉ पर ज्ञान कुमार शुक्ला व प्रहलाद आदि पहले से ही मौजूद रहे हैं। इस साक्ष्य से स्पष्ट है कि पी0डब्लू01 घटना का

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू02 ज्ञान कुमार शुक्ला है जो उस समय इमलिया सुल्तानपुर जाने के लिए मोटर साइकिल से प्रहलाद के साथ निकला था और इस साक्षी ने यह प्रमाणित किया है कि मौके पर आरोपी प्रेम हरिजन का वाद–विवाद मृतक भोला प्रसाद से हो रहा था। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 ने स्पष्ट बयान दिया है कि प्रेम हरिजन ने उसके पिता को 12 बोर के कट्टे से उसकी गर्दन में गोली मार दी जो उनको लगी। साक्ष्य में यह भी तथ्य आया है कि मौके पर मजरूब जमीन पर गिर गया और उसे उठाकर मोटर साइकिल से ही थाने व अस्पताल ले जाया गया। पत्रावली पर दाखिल इंजरी रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जा रहा है कि मजरूब का मेडिकोलीगल परीक्षण जिला अस्पताल में हुआ तथा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 14.02.2018 को ही समय 4.20 बजे उसकी मृत्यु हो गयी। पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–19 के अवलोकन से यह पाया जा रहा है कि मृतक भोला प्रसाद के गर्दन के दांयी तरफ एवं सामने तथा ऊपरी छाती के दांयी तरफ Multiple Fire Arm wound of entry, जो मांस की गहराई तक गर्दन के दाहिनी ओर पाये गये हैं तथा एक चोट Abraded contusion दाहिनी तरफ पायी गयी है। चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू08 ने अपने साक्ष्य से इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि मृतक के शरीर से शव विच्छेदन के समय छाती से 15 छर्रे बरामद हुए हैं तथा मृतक की मृत्यु का तात्कालिक कारण शाक व हेमरेज जो फायर आर्म इंजरी से आया है, पाया गया है। मृतक को आयी चोट फायर आर्म से पहुंचायी गयी है।

मृतक को जीवित अवस्था में अस्पताल लाया गया है और बतौर ई0एम0ओ0 चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू010 डा0 इंद्रेश्वर वर्मा द्वारा चिकित्सीय परीक्षण अपरान्ह 4.00 बजे 14.02.2018 को किया गया है। चिकित्सक साक्षी की राय में मृतक के गर्दन के दाहिनी तरफ Multiple entry wound 3एमएमX1एमएम पाया गया है तथा उसमें blackening and tattooing भी पायी गयी है। जिसमें से रक्तश्राव हो रहा था। इस साक्षी ने फायर आर्म की जो चोटें मजरूब के शरीर पर पायी हैं, वह ताजी और आग्नेयास्त्र से पहुंचाये जाने का तथ्य प्रमाणित किया है।

अभियोजन साक्ष्य में यह आया है कि वादी मुकदमा ध्रुवकुमार शुक्ला तथा उसके पिता भोला प्रसाद मृतक की कोई पूर्व दुश्मनी आरोपीगण से नहीं रही है। प्रदर्श क–1 में भी पुरानी दुश्मनी से घटना कारित करने का तथ्य नहीं लिखा गया है। साक्षी पी0डब्लू01 ध्रुव कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी यह नहीं बताया है कि आरोपीगण से किसी बात को लेकर पहले से दुश्मनी रही है और अभियोजन साक्ष्य

में यह भी नहीं आया है कि आरोपीगण ने घटना कारित करने से पहले आपस में सलाह–मशबिरा किया हो और घातक आयुध से सुसज्जित होकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में घटना को अंजाम दिया है। सभी आरोपीगण घटनास्थल पर मौजूद रहे हैं। घटनास्थल आटा चक्की का कारखाना है। जो बसेती ग्राम में चौराहे के बगल स्थित है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में अपराध कारित करने के लिए यह आवश्यक तत्व है कि वे तथ्य साबित होने चाहिए कि सभी आरोपीगण का एक सामान्य उद्देश्य यह रहा है कि घातक आयुध का प्रयोग कर घटना को अंजाम दिया जाये। आरोपीगण का घटना से पहले मस्तिष्क के पूर्व मिलन का तथ्य भी अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है। अभियोजन की घटना दिनांक 14.02.2018 को 3.30 बजे दिन में उस समय हुई है जब मृतक साइकिल से आटा लेने के लिए घटनास्थल आटा कारखाना गया है। वहॉ पर आरोपी प्रेम हरिजन का मृतक का वाद विवाद हुआ है और इसी क्रम में आरोपी प्रेम हरिजन द्वारा 12 बोर के अवैध तमंचे से गोली चलाकर मृतक भोला प्रसाद की हत्या कारित की गयी है। अन्य आरोपीगण रामकुमार, रंजीत, दीवानी व गंगाराम मात्र मौके पर किसी कारणवश उपस्थित रहे हैं। घटनास्थल एक सार्वजनिक स्थान आटा चक्की का कारखाना है। जहॉ पर उपस्थिति संदिग्ध नहीं मानी जा सकती। अन्य आरोपीगण रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम द्वारा अभियोजन की घटना में कोई योगदान नहीं दिया गया है। इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अवधारित किया गया है कि सामान्य उद्देश्य व सामान्य आशय के तथ्य को साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि घटना से पूर्व अपराध कारित करने की योजना बनाई गई हो और उस योजना में सभी आरोपीगण शामिल रहे हों। घटनास्थल पर मात्र उपस्थित रहने से सामान्य उद्देश्य का तथ्य साबित नहीं होता है। अपराध कारित करने का मस्तिष्क का पूर्व मिलन आवश्यक है।

बचाव पक्ष द्वारा दिया गया यह तर्क कि अभियोजन साक्ष्य में गम्भीर असंगतियॉ हैं और सभी आरोपीगण के विरूद्ध साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है। यह दलील बलहीन है।

36. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन के सम्पूर्ण साक्ष्य के परिशीलन से यह तथ्य साबित हो रहा है कि अभियोजन साक्ष्य में कुछ बिन्दुओं पर असंगतियॉ हैं लेकिन घटना के मुख्य भाग के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। चूंकि गवाहान न्यायालय में घटना के काफी समय बाद परीक्षित होते हैं और हर गवाह के सोचने व बोलने का ढंग पृथक होता है इसलिए थोड़ी बहुत असंगतियॉ आनी स्वाभाविक है। देखा यह जाना है कि अभियोजन साक्ष्य में गम्भीर व तात्विक विसंगतियॉ

मुख्य घटना के संबंध में न हों। हस्तगत मामले में अभियोजन साक्ष्य में गम्भीर असंगतियॉ नहीं है।

37. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा साक्ष्य में आयी छोटी–2 विसंगतियों पर **न्याय दृष्टांत पंजाब राज्य बनाम बस्सन सिंह ए0आई0आर0 1981 एस0सी0 697** में यह अवधारित किया है कि "गवाह अलग–2 समय पर बयान देने आते हैं इससे छोटी–2 बातों के बारे में कुछ अन्तर आ जाता है। सत्यता की जॉच कुल तथ्यों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। छोटीसी बात को लेकर माननीय न्यायालय ने इस अन्तर को महत्व देना उचित नहीं समझा।"

38. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मुंशी प्रसाद बनाम बिहार राज्य ए0आई0 आर0 2001 एस0सी0 3021** में यह मत अवधारित किया गया है कि "साक्षी का कुल कथन ध्यान में लिया जाना चाहिए क्योंकि वह सम्पूर्ण दशा में भी महत्वपूर्ण होता है और यदि वह कुछ अविश्वास पैदा करता है तो उसे खारिज किया जाना चाहिए अन्यथा हितवद्ध साक्षी का कथन है।"

39. इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत न्याय दृष्टांत **कुलेश मोंडल बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल, ए.आई.आर. 2007 एस0सी0 3228** में माननीय न्यायालय ने यह मत अवधारित किया है कि "तात्विक असंगति ऐसी असंगतियॉ हैं जिनकी उम्मीद किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं की जाती है, तात्विक असंगतियों के रूप में जानी जाती हैं। न्यायालय को यह देखना होगा कि उक्त असंगति तात्विक प्रकृति की है या तुच्छ प्रकृति की। साधारण असंगतियॉ पक्षकार के केस की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करती हैं अपितु तात्विक असंगतियॉ ऐसा करती हैं।"

40. प्रश्नगत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के गहन परिशीलन से यह पाया जा रहा है कि आरोपीगण प्रेम हरिजन, रामकुमार, रंजीत, दीवानी व गंगाराम द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई विधि विरूद्ध जमाव घातक आयुध लेकर नहीं किया गया। आरोपी प्रेम हरिजन द्वारा मृतक भोला प्रसाद पर फायर आर्म से जान से मारने की नियत से फायर किया गया है, अन्य आरोपीगण अपराध में शामिल नहीं रहे हैं। केवल घटनास्थल के आसपास मौजूद रहे हैं। इनका कोई सामान्य आशय अथवा सामान्य उद्देश्य घटना कारित करने का नहीं रहा है। न ही कोई पूर्व में आरोपीगण के मस्तिष्क का मिलन ही हुआ है कि अपराध की रूपरेखा बनाई गयी हो। मृतक के शरीर पर चोटें Multiple fire arm entry

wound 0.5X0.5सेमी0X muscle deep cavity थी। जो कि गर्दन के दांये तरफ एवं सामने एवं ऊपरी छाती के दाई तरफ थी। जिसका क्षेत्रफल 14सेमी0X15सेमी0 था और Abraded contusion सामने व ऊपरी दांयी छाती में था। जो कि दायीं कालर वोन के बाहरी भाग से 7सेमी0 नीचे की ओर स्थित था,पायी गयी हैं तथा मृतक के शरीर पर जो abrasion की चोट हैं वह किसी लाठी–डण्डे से नहीं आई है बल्कि गोली लगने पर जब मृतक जमीन पर गिरा है तो hard surface पर गिरने से मृतक के सीने में abrasion की चोट आयी है। घटना कारित करने में केवल आरोपी प्रेम हरिजन का रोल है, अन्य आरोपीगण के पास अभियोजन कोई घातक हथियार होना साबित नहीं कर पाया है। साक्षी पी0डब्लू01 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में आरोपीगण द्वारा गाली–गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का साक्ष्य दिया गया है। साक्षी घटना के तुरन्त वाद मौका ए वारदात पर पहुंचा है और घायल अवस्था में मृतक/अपने पिता को थाना व अस्पताल ले गया है। मृतक भोला प्रसाद का डाक्टरी परीक्षण दिनांक 14.02.2018 को 4.00 बजे हुआ और भर्ती किया गया और 4.20बजे मृतक की दौरान इलाज जिला अस्पताल, सीतापुर में मृत्यु हो गयी। मृतक का पंचायतनामा 5.01 बजे शाम प्रारम्भ हुआ तथा पोस्टमार्टम दिनांक 15.02. 2018 को दोपहर में किया गया। पंचायतनामा प्रदर्श क–13, नमूना मोहर प्रदर्श क–14, पुलिस फार्म प्रदर्श क–15, फोटो लाश प्रदर्श क–16, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क–17 एवं रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदर्श क–18 अभियोजन साक्षी पी0डब्लू07 निरीक्षक रायमणि शुक्ला द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। अभियोजन प्रपत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–19 अभियोजन साक्षी पी0डब्लू08 डा0 एस0के0 वर्मा द्वारा प्रमाणित की गयी है तथा मृतक भोला प्रसाद की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–22 व बेड हेड टिकट प्रदर्श क–23 अभियोजन साक्षी पी0डब्लू010 डा0 इंद्रेश्वर वर्मा द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित की गयी है।

41. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के गहन विश्लेषण से यह तथ्य साबित हो गया है कि आरोपीगण प्रेमहरिजन, रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम द्वारा घटना वाले दिन दिनांक 14.02.2018 को समय 15.30 बजे बहद स्थान कारखाना अभियुक्त रामकुमार, ग्राम बसेती, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर में घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव नहीं किया गया। आरोपीगण रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम के द्वारा घटना कारित नहीं की गयी है। महज उपस्थिति मात्र से सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हत्या जैसा गम्भीर अभियोग में दोषसिद्ध किया

जाना उचित नहीं है। मृतक को single gun shot injury पायी गयी है और फायर आरोपी प्रेम हरिजन द्वारा किया गया है। अभियोजन की घटना आरोपी प्रेम हरिजन द्वारा कारित की गयी है। उसके द्वारा गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर कट्टे से फायर करके भोला प्रसाद की हत्या कारित की गयी है। अभियोजन साक्षीगण ने एक स्वर में यह साक्ष्य दिया है कि आरोपी प्रेम हरिजन ने ही मृतक को गोली मारी है जिसके छर्रे मृतक भोला प्रसाद की गर्दन व सीने पर लगे हैं। साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु 12 बोर के कट्टे से चलायी गयी गोली से आयी चोटों के कारण शाक व हेमरेज से हुई है। मृतक के सीने से 15 छर्रे पोस्टमार्टम के समय चिकित्सक द्वारा बरामद किये गये हैं। अभियोजन साक्ष्य में निरन्तरता व सहजता है तथा आरोपी प्रेम हरिजन द्वारा ही मृतक की हत्या कारित की गयी है। अन्य आरोपीगण रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम पर आरोप धारा–147,148,302/149,504,506भा0दं0सं0 साबित नहीं हो रहा है तथा आरोपी प्रेम हरिजन पर अभियोजन द्वारा अधिरोपित आरोप मात्र धारा–302,504,506 भा0दं0सं0 वखूबी साक्ष्य से साबित हो रहा है। आरोपी प्रेम हरिजन पर आरोप धारा–147,148,149 भा0दं0सं0 साबित नहीं हो रहा है।

42. सत्र परीक्षण सं0–233/2018 में आरोपी प्रेम हरिजन के विरूद्ध अभियोजन द्वारा धारा–25(1–बी)आयुध अधिनियम का आरोप लगाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि सत्र परीक्षण सं0–233/2018 धारा–25(1–बी)आयुध अधिनियम के मामले में आरोपी प्रेम हरिजन के कब्जे से एक नाजायज कट्टा 12 बोर, एक जिन्दा कारतूस एवं नाल में फंसा हुआ खोखा कारतूस 12 बोर दिनांक 15.02.2018 को समय 22.30 बजे बहद स्थान गोला रोड पारा नहर पुलिया ग्राम पारा, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर से बरामद हुआ है। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी मेमो आरोपी प्रेम हरिजन, साक्षी पी0डब्लू04 निरीक्षक राय साहब द्विवेदी द्वारा क्रमशः प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 के रूप में साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। उक्त असलहे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज कर जॉच करायी गयी है। जांच रिपोर्ट कागज सं0– 55क/3 पत्रावली पर संलग्न है। जिसके अवलोकन से यह पाया जा रहा है कि मृतक भोला प्रसाद की हत्या जिस 12 बोर के असलहे से गोली चलाकर कारित की गयी है उस असलहे की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट व लेड की उपस्थिति पायी गयी है। घटना में चलाया गया कारतूस ईसी–1 तथा परीक्षणार्थ चलाये गये दो कारतूस

क्रमशः टीसी–1 व टीसी–2 पर फायरिंग पिन, ब्रीच एवं चैम्बर के चिन्ह मौजूद हैं और कारतूस ईसी–1 जो विवादित कारतूस कट्टे से फायर हुआ पाया गया है, में फायर होने की व्यक्तिगत विशेषता परीक्षण स्वरूप चलाये गये कारतूस में समान पाये गये। जिससे स्पष्ट है कि 12 बोर के कट्टा, जिन्दा कारतूस एवं खोखा कारतूस 12 बोर की बरामदगी आरोपी प्रेम हरिजन के कब्जे से पायी गयी है वही अवैध असलहा का प्रयोग में आरोपी द्वारा प्रयोग में लाया गया है और हत्या इसी बरामद शुदा 12 बोर के कट्टे से की गयी है।मु0अ0सं0–33/2018 धारा–25 (1–बी)आयुध अधिनियम की चिक एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 क्रमशः प्रदर्श क–20 व प्रदर्श क–21 साक्षी पी0डब्लू08 मुख्य आरक्षी नवर्देश्वर तिवारी द्वारा अपने साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। अभियोजन साक्ष्य में कोई गम्भीर विसंगतियॉ नहीं है। साक्षीगण से की गयी प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य सामने निकल कर नहीं आया है जो अभियोजन द्वारा कही जा रही बरामदगी को सन्देहजनक बना रहा हो। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी तत्परता से पंजीकृत है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से मामला आइने की तरह साफ है कि आरोपी प्रेम हरिजन द्वारा दिनांक 14.02.2018 को समय 15.30 बजे बहद स्थान कारखाना अभियुक्त रामकुमार, ग्राम बसेती, अन्तर्गत थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर मे नाजायज आग्नेयास्त्र से वादी मुकदमा ध्रुव कुमार शुक्ला के पिता भोला प्रसाद की आग्नेयास्त्र से फायर कर हत्या कारित की गयी है और वही कट्टा 12 बोर नाजायज ओरापी के कब्जे से दिनांक 15.02.2018 को समय 22.30 बजे बहद स्थान गोला रोड पारा नहर पुलिया ग्राम पारा, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर से पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। परीक्षण रिपोर्ट एफ0एस0एल0 व साक्ष्य से आरोपी प्रेम हरिजन पर आरोप धारा–25(1–बी)आयुध अधिनियम सन्देह से परे वखूवी साबित हो रहा है।

43. साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आरोपीगण रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम के विरूद्ध धारा–147,148,302/149,504,506 भा0दं0सं0 का आरोप साबित नहीं हो रहा है। आरोपीगण रामकुमार, दीवानी, रंजीत व गंगाराम को आरोप धारा–147,148,302/149,504,506भा0दं0सं0 से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण जमानत पर हैं। उनके बन्धपत्र व प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

44. आरोपी प्रेम हरिजन को आरोप धारा–302,504,506 भा0दं0सं0 एवं धारा–25(1–बी)आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध जमानत पर

है। दोषसिद्ध के जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। अभिरक्षा वारंट बनाकर जिला कारागार भेजा जाये।

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दिनांक 23.07.2026 को पेश हो। दोषसिद्ध जिला कारागार से तलब हो।

दिनांक–20.07.2026 (मो0 सफीक)

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–01, सीतापुर।
J.O Code-UP6141

UPSI010046022018

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01, सीतापुर।</u>

उपस्थितः– मो0 सफीक
(एच0जे0एस0)

<u>old Sessions Trial N0.232/2018</u>

CIS NO.232/2018

राज्य बनाम् प्रेम हरिजन पुत्र मिहीलाल
निवासी ग्राम कुबेरपुर,
थाना इमलिया सुल्तानपुर,
जिला सीतापुर।
मुकदमा अ़पराध सं0–30 / 2018
धारा–302,504,506 भा0दं0सं0
थाना–इमलिया सुल्तानपुर,
एवं जिला सीतापुर।

UPSI010046042018

<u>old Sessions Trial No.233/2018</u>

CIS NO.233/2018

राज्य बनाम् प्रेम हरिजन पुत्र मिहीलाल
निवासी ग्राम कुबेरपुर,
थाना इमलिया सुल्तानपुर,
जिला सीतापुर।
मुकदमा अ़पराध सं0–33 / 2018
धारा–25(1–बी)आयुध अधिनियम
थाना–इमलिया सुल्तानपुर,
जिला सीतापुर।

<u>दिनांक 23.07.2026</u>

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध प्रेम हरिजन जिला कारागार सीतापुर से न्यायालय उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध अत्यन्त गरीब है तथा उसके ऊपर अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता(फौ0) की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्व द्वारा दिनांक 14.02.2018 को समय 15.30 बजे बहद स्थान कारखाना अभियुक्त रामकुमार, ग्राम बसेती, अन्तर्गत थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर मे वादी मुकदमा ध्रुव कुमार शुक्ला के पिता भोला प्रसाद की आग्नेयास्त्र से फायर

कर हत्या कारित की तथा गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है तथा घटना में प्रयुक्त नाजायज तमंचा 12 बोर, एक जिन्दा कारतूस व नाल से खोखा कारतूस 12बोर दोषसिद्व के कब्जे से बरामद हुए हैं। दोषसिद्व द्वारा कारित अपराध गम्भीर व जघन्य है। अतः फांसी के दण्ड से दण्डित किया जाये, जिससे समाज में अपराध के प्रति भय व्याप्त हो।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया जा रहा है कि मृतक को single gun shot injury आयी है। मामला rarest of rare की परिधि में नहीं आता है।

अतः उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुनने व मामले के परिस्थितियों को देखते हुए दोषसिद्ध को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

दोषसिद्ध प्रेम हरिजन को धारा–302,504,506 भा0दं0सं0 एवं धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध को आरोप धारा–302 भा0दं0सं0 में आजीवन कारावास एवं मु0 25000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर दोषसिद्ध को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

आरोप धारा–504 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध को एक वर्ष के सश्रम कारावास व मु0 1,000/–रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर दोषसिद्ध को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

आरोप धारा–506 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध को एक वर्ष के सश्रम कारावास व मु0 2,000/–रूपये (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर दोषसिद्ध को बीस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

आरोप धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध को 2 वर्ष(दो वर्ष) के सश्रम कारावास व मु0 1,000/–रूपये(एक हजार रूपये)के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर दोषसिद्ध को दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

अपराध धारा–504,506 भा0दं0सं0 व 25(1–बी) आयुध अधिनियम की सजाऐं साथ–साथ चलेगीं।

इस अभियोग में दोषसिद्ध द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। दोषसिद्ध का सजायावी वारंट बनाकर जिला कारागार, सीतापुर भेजा जाये।

दोषसिद्ध को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अविलम्ब प्राप्त करायी जाये।

मामले में माल मुकदमाती एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर बाद मियाद अपील अथवा अपील के फैसले के अनुसार नियमानुसार नष्ट हो तथा एक अदद जीवित कारतूस 12 बोर राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति प्राचीन सत्र परीक्षण सं0–233/2018 राज्य बनाम प्रेम हरिजन, मु0अ0सं0–33/2018, धारा–25(1–बी)आयुध अधिनियम की पत्रावली पर रखी जायेगी।

दिनांक–23.07.2026 (मो0 सफीक)

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–01,सीतापुर।
J.O Code-UP6141

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–23.07.2026 (मो0 सफीक)

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–01,सीतापुर।
J.O Code-UP6141

किशन/–